[2022] 17 एस सी आर 376

गुल्फ ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड।

वी.

तेलंगाना राज्य और ओ. आर. एस.

(सिविल अपील सं। 7759-7760 2014)

13 सितंबर, 2022

[हेमंत गुप्ता और विक्रम नाथ, जे. जे.]

तेलंगाना धर्मार्थ और हिंदू धार्मिक संस्थान और बंदोबस्ती अधिनियम, 1987-एस। 75 , 80 , 82 – तेलंगाना धर्मार्थ और हिंदू धार्मिक संस्थान और बंदोबस्ती अचल संपत्ति और अन्य अधिकार (कृषि भूमि के अलावा) पट्टे और लाइसेंस नियम, 2003 - आर. 15-उच्च न्यायालय ने अन्य बातों के साथ-साथ अपीलकर्ता-पट्टेदार को 1987 के अधिनियम के तहत बेदखल करने का आदेश दिया-क्या विचाराधीन भूमि कृषि भूमि है जिस पर 1987 का अधिनियम लागू होता है और पट्टेदार के पक्ष में पट्टा एस के संदर्भ में रद्द कर दिया जाता है। 82 (1) अधिनियम की; और क्या पक्ष इस ज्ञान के साथ मुकदमे में गए कि कार्यवाही में विचाराधीन भूमि कृषि भूमि थी

बंदोबस्ती न्यायाधिकरण के समक्ष पक्षों के बीच-आयोजितः भूमि की प्रकृति भूमि के उपयोग से अलग है क्योंकि भूमि है

कृषि भूमि, गैर-कृषि उद्देश्यों के लिए इसका उपयोग कृषि भूमि के रूप में भूमि की प्रकृति को नहीं बदलेगा - 1987 के अधिनियम की धारा 82 में "कृषि भूमि के किसी भी पट्टा" का उल्लेख है, इसलिए पट्टा कृषि भूमि का होना चाहिए, भले ही पट्टेदार ऐसी कृषि भूमि का उपयोग कर सके-क़ानून की भाषा भूमि की प्रकृति को संदर्भित करती है न कि उसके उपयोग को-इसलिए, वर्तमान मामले में, न्यायाधिकरण के समक्ष पट्टेदार द्वारा उठाए गए लिखित तर्कों के संदर्भ में भी, गैर-कृषि भूमि के लिए भूमि का उपयोग।

कृषि भूमि के पट्टे को वैधानिक रूप से रद्द करने के लिए कृषि उद्देश्य अप्रासंगिक होंगे। 1987 अधिनियम की धारा 82-इसके अलावा, 1987 अधिनियम अपने आप में एक संहिता है जो बंदोबस्ती न्यायाधिकरण, अपील, संशोधन और समीक्षा-अभिवचन और साक्ष्य के संबंध में सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 द्वारा अनुध्यात प्रक्रिया के सख्त नियम को न्यायाधिकरण तक नहीं बढ़ाया जा सकता है।

विशिष्ट उद्देश्य के लिए गठित किया गया-तत्काल मामले में, क्योंकि पट्टेदार इस तथ्य से अवगत थे कि मठ-पट्टेदार भूमि को कृषि भूमि होने का दावा करता है और पट्टे को वैधानिक रूप से रद्द किया जा रहा था क्योंकि पट्टे पर दी गई भूमि थी

कृषि, इसलिए, पट्टेदार प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों या अभिवचन के सख्त नियमों के किसी भी उल्लंघन की शिकायत नहीं कर सकते हैं।

सी. पी. सी. के तहत आवश्यक-पक्ष भूमि की प्रकृति के बारे में विवाद से अवगत थे-इस प्रकार, पट्टेदार को उन्हें पट्टे पर दी गई भूमि की प्रकृति पर विवाद करने के लिए मुड़ने की अनुमति नहीं दी जा सकती है-इसके अलावा, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि 2003 के नियमों की धारा 15 कृषि भूमि पर लागू नहीं होगी। 82 (3) और (4) केवल उस भूमि और संपत्ति पर लागू होता है जो कृषि नहीं है-क्योंकि भूमि के पास है

इसलिए, 2003 के नियम विचाराधीन भूमि पर लागू नहीं होंगे इस प्रकार, सीए में निर्देश

2014 का No.7761, पट्टेदार द्वारा पट्टे के अनुदान पर विचार करने के अनुरोध पर विचार करने के लिए आर. 15 असमर्थनीय है और इसे अलग रखा गया है-आंध्र प्रदेश धर्मार्थ और हिंदू धार्मिक संस्थान और बंदोबस्ती अधिनियम, 1966-हैदराबाद इनाम उन्मूलन अधिनियम, 1955-सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908।

हैदराबाद इनाम उन्मूलन अधिनियम, 1955-निम्नलिखित के लिए लागूः इनाम उन्मूलन अधिनियम मठ पर लागू नहीं होता है

इसका कारण यह है कि अधिनियम स्वयं धर्मार्थ और धार्मिक संस्थानों पर लागू नहीं होता है। 1 (2) (i) 26.12.1985 तक और उसके बाद s के पहले परंतुक के संदर्भ में। 4 (1) इनाम उन्मूलन अधिनियम-इस प्रकार, संयुक्त कलेक्टर द्वारा दर्ज किया गया कोई भी निष्कर्ष केवल अधिभोग अधिकारों का दावा करने वाले पावर ऑफ अटॉर्नी धारक के दावे को नकारने के उद्देश्य से है-संयुक्त कलेक्टर द्वारा यह स्पष्ट रूप से अभिनिर्धारित किया गया है कि यह अधिनियम मठ-तेलंगाना इनाम उन्मूलन अधिनियम, 1955-आंध्र प्रदेश (संशोधन) अधिनियम, 1994 पर लागू नहीं होता है।

अपीलों का निपटारा करते हुए, न्यायालय ने

इनाम उन्मूलन अधिनियम ने निजाम द्वारा दिए गए सभी इनाम (अनुदान) को समाप्त कर दिया। अधिनियम में मामलों के निर्णय पर विचार किया गया है अधिनियम के अंतर्गत आने वाली और सरकार के पास निहित इनाम भूमि के संबंध में अधिभोग अधिकार और प्रमाण पत्र प्रदान करने, ऐसी भूमि की प्रकृति और इतिहास की जांच, इनामदार को देय मुआवजे का निर्धारण और विभाजन [2022] 17 एस. सी. आर.

वहाँ तक। इनाम उन्मूलन अधिनियम की धारा 4 से 8 1.11.1973 यानी इनाम अधिनियम के तहत अधिभोग अधिकार देने की तारीख को लागू हुई। ऐसा प्रतीत होता है कि मठ ने कल्याणी नरसिंह राव के साथ एक समझौता किया था। उन्होंने अधिभोग अधिकार प्रदान करने के लिए एक आवेदन दायर किया। इस तरह के आवेदन को राजस्व मंडल आयुक्त द्वारा 27.11.2004 पर अनुमति दी गई थी। राजस्व प्रभागीय अधिकारी मठ के जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी धारक को अधिभोग अधिकार प्रमाण पत्र जारी करने के लिए एक आवेदन पर विचार कर रहे थे। आवेदन की अनुमति दी गई। इनाम उन्मूलन अधिनियम की धारा 24 के तहत एक अपील में, एक निष्कर्ष वापस किया गया कि विचाराधीन भूमि को 1973 से पहले गैर-कृषि उपयोग के लिए परिवर्तित किया गया था। मुद्दा नं. 2 इसमें इस बात का प्रभाव था कि क्या विचाराधीन भूमि महत्वपूर्ण तिथि को कृषि के अधीन थी। द.

धार्मिक संस्थानों को इनाम उन्मूलन अधिनियम के संचालन से छूट दी गई थी। संयुक्त कलेक्टर ने माना कि भूमि एक इनाम भूमि है और अधिनियम की धारा 4 (1) के परंतुक के संदर्भ में, इनाम धर्मार्थ और धार्मिक संस्थानों द्वारा या उनके लाभ के लिए आयोजित किया गया था, इसलिए, कोई भी व्यक्ति एक अधिभोगकर्ता के रूप में पंजीकृत होने का हकदार नहीं होगा और अकेले संस्थान अधिभोगकर्ता के रूप में पंजीकृत होने का हकदार होगा। यह राजस्व का उक्त आदेश है।

संभागीय अधिकारी जिसे संयुक्त कलेक्टर द्वारा अलग रखा गया था। [पैरा 45 और 46] [402-डी-एफ; 403-बी-डी]

1.2 उक्त अधिनियम के तहत जांच का दायरा अधिभोग अधिकार प्रदान करने तक सीमित था जिसे कई मामलों में अस्वीकार कर दिया गया था।

इस तथ्य सहित कारण कि महत्वपूर्ण तिथि पर भूमि कृषि के अधीन नहीं थी। चूँकि इनाम उन्मूलन अधिनियम इनाम के उन्मूलन और अधिभोग के अधिकारों को प्रदान करने के संबंध में एक विशेष अधिनियम है, यह एक आदेश है जो पूर्ण अधिकार क्षेत्र वाले न्यायाधिकरण द्वारा नहीं है। इनाम उन्मूलन अधिनियम के तहत न्यायाधिकरण ने सीमित किया था

इनाम उन्मूलन अधिनियम के तहत उत्पन्न होने वाले प्रश्नों पर निर्णय लेने का अधिकार क्षेत्र। इसलिए, ऐसी कार्यवाहियों में दर्ज किए गए निष्कर्ष न तो निरोध के रूप में कार्य करते हैं, न ही किसी अन्य कार्यवाहियों के लिए न्यायिक आधार के रूप में कार्य करते हैं। इनाम उन्मूलन अधिनियम के तहत कार्यवाही एक पावर ऑफ अटॉर्नी धारक द्वारा अधिभोग अधिकारों का दावा करते हुए शुरू की गई थी

बेचने के समझौते के आधार पर।

मठ का प्रतिनिधित्व गुल्फ ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने किया था। वी. तेलंगाना राज्य और ओ. आर. एस.

एक पावर ऑफ अटॉर्नी धारक द्वारा, जो स्वतंत्र अधिकारों का दावा कर रहा था, इसलिए, पिछली कार्यवाही उन्हीं पक्षों के बीच नहीं थी क्योंकि मठ अपने अधिकारों में एक पक्ष नहीं था, बल्कि एक वकील के माध्यम से था जो स्वतंत्र अधिकार का दावा कर रहा था।

स्वयं। इसलिए, उसमें दर्ज किए गए निष्कर्ष किसी अन्य क़ानून के तहत कार्यवाही के संबंध में प्रासंगिक या बाध्यकारी नहीं हैं।

धर्मार्थ और धार्मिक संस्थानों को दी गई इनाम भूमि की रक्षा के लिए विभिन्न उद्देश्यों के लिए अधिनियमित। इनाम उन्मूलन अधिनियम मठ पर इस कारण से लागू नहीं होता है कि यह अधिनियम स्वयं धर्मार्थ और धार्मिक संस्थानों पर धारा 1 (2) (i) के संदर्भ में 26.12.1985 तक और उसके बाद इनाम उन्मूलन अधिनियम की धारा 4 (1) के पहले प्रावधान के संदर्भ में लागू नहीं होता है। अतः किसी भी

2.1 क्या विचाराधीन भूमि कृषि भूमि है जिसे तेलंगाना धर्मार्थ और हिंदू धार्मिक संस्थान और बंदोबस्ती अधिनियम, 1987 लागू होता है और पट्टेदार के पक्ष में पट्टा अधिनियम की धारा 82 (1) के संदर्भ में रद्द कर दिया जाता है।

पट्टेदारों के लिए विद्वान वकील का प्राथमिक तर्क

यह है कि इस बात की कोई दलील नहीं थी कि विचाराधीन भूमि कृषि भूमि थी, इसलिए पट्टेदारों को इस तथ्य से अवगत नहीं कराया गया था कि पट्टा वैधानिक रूप से रद्द कर दिया गया है। उक्त तर्क इस कारण से मान्य नहीं है कि निरीक्षक ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 29.1.2008 और 16.12.2008 में बताया कि विचाराधीन भूमि कृषि भूमि है और ऐसी भूमि का पट्टा मान्य है। रद्द कर दिया गया। पट्टेदार ने इससे पहले बंदोबस्ती न्यायाधिकरण के समक्ष कार्यवाही जारी रखने को चुनौती देते हुए 2010 की रिट याचिका संख्या 24440 दायर की थी। मठ की ओर से दायर 7.12.2010 दिनांकित जवाबी हलफनामे में कहा गया था कि 1987 के अधिनियम की धारा 82 के तहत पट्टे अमान्य हो गए हैं। रिट याचिका 20.1.2011 पर खारिज कर दी गई थी। उच्च न्यायालय ने मठ के इस तर्क पर भी ध्यान दिया कि धारा 82 के संदर्भ में पट्टों को रद्द कर दिया गया है। उच्च न्यायालय ने चौथे प्रतिवादी यानी सहायक आयुक्त (बंदोबस्ती) का रिकॉर्ड मांगा था। यह तर्क कि भूमि कृषि भूमि है, [2022] 17 एस. सी. आर. द्वारा उठाया गया था।

मठ और निरीक्षक की रिपोर्ट में भी दर्ज किया गया। इस प्रकार, यह ध्यान दिया जाता है कि पट्टेदार कृषि भूमि के रूप में भूमि की प्रकृति के बारे में अच्छी तरह से जानते थे। उच्च न्यायालय के इस तरह के आदेश को अंतिम रूप मिल गया है। मठ ने अपने तर्कों को इस आधार पर आधारित किया है कि विचाराधीन भूमि कृषि भूमि है। [पारस 51-56] [406-B-D, F-G, H; 407-F-G]

2.2 लिखित दलीलों के अवलोकन से पता चलता है कि पट्टेदारों ने कहा है कि भूमि का उपयोग गैर-कृषि के लिए किया जा रहा है

उद्देश्य। पूरा तर्क गैर-कृषि उद्देश्यों के लिए भूमि के उपयोग पर आधारित है। भूमि की प्रकृति इससे अलग है

भूमि का उपयोग करें। चूंकि भूमि कृषि भूमि है, इसलिए गैर-कृषि उद्देश्यों के लिए इसका उपयोग कृषि भूमि के रूप में भूमि की प्रकृति को नहीं बदलेगा। 1987 के अधिनियम की धारा 82 में "कृषि भूमि के किसी भी पट्टे" का उल्लेख है, इसलिए पट्टा कृषि भूमि का होना चाहिए, भले ही पट्टेदार ऐसी कृषि भूमि का उपयोग कर सके। कानून की भाषा भूमि की प्रकृति को संदर्भित करती है न कि उसके उपयोग को। इसलिए, न्यायाधिकरण के समक्ष पट्टेदार द्वारा उठाई गई लिखित दलीलों के संदर्भ में भी, 1987 के अधिनियम की धारा 82 के तहत कृषि भूमि के पट्टे को वैधानिक रूप से रद्द करने के लिए गैर-कृषि उद्देश्यों के लिए भूमि का उपयोग अप्रासंगिक होगा। ए. पी. कृषि भूमि (गैर-कृषि उद्देश्यों के लिए रूपांतरण) अधिनियम, 2006 द्वारा निरस्त आंध्र प्रदेश गैर-कृषि मूल्यांकन अधिनियम, 1963 की धारा 3 को पढ़ने से कृषि और गैर-कृषि भूमि के बीच का अंतर स्पष्ट नहीं है। भूमि की श्रेणियों के बीच अंतर गैर-कृषि भूमि के मामले में उच्च मूल्यांकन का परिणाम देता है। पट्टेदार ने इस बात का कोई सबूत नहीं दिया है कि वे भुगतान कर रहे हैं

इस कानून के तहत गैर-कृषि भूमि के रूप में निर्धारित दरों के अनुसार लेवी। 1987 के अधिनियम के संबंध में, सिद्धार्थ अकादमी में उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने अभिनिर्धारित किया कि गैर-कृषि उद्देश्य के लिए भूमि का उपयोग पट्टा विलेख को वैधानिक रूप से रद्द करने के उद्देश्य से महत्वहीन है, जैसा कि उक्त अधिनियम की धारा 82 (1) के तहत प्रदान किया गया है। एस. एल. पी. (सिविल) सं. 25617-25619 2013 का 35 27.2.2017 पर वापस ले लिया गया था। इस प्रकार, डिवीजन बेंच द्वारा पारित आदेश को अंतिम रूप मिल गया था। [पारस 57,58,60,61] [408]

जी-एच; 409-ए-सी; 410-बी, एफ] स्वयं तेल निगम लिमिटेड।

वी. तेलंगाना राज्य और ओ. आर. एस.

सिद्धार्थ अकादमी ऑफ जनरल एंड टेक्निकल शिक्षा वी. दान के उपायुक्त

2010 एस. सी. सी. ऑनलाइन ए. पी. 461-संदर्भित।

3.1 क्या धर्मादा न्यायाधिकरण के समक्ष पक्षकारों के बीच की कार्यवाही में पक्षकार इस जानकारी के साथ मुकदमे में गए कि विचाराधीन भूमि कृषि भूमि थी?

1987 का अधिनियम अपने आप में एक संहिता है जो बंदोबस्ती न्यायाधिकरण के गठन, अपील, संशोधन और समीक्षा का प्रावधान करता है। द.

अभिवचनों और साक्ष्य के संबंध में सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 द्वारा अनुध्यात प्रक्रिया के सख्त नियम को विशिष्ट उद्देश्य के लिए गठित न्यायाधिकरण तक विस्तारित नहीं किया जा सकता है। चूँकि पट्टेदार इस तथ्य से अवगत थे कि मठ भूमि को कृषि भूमि होने का दावा करता है और पट्टे को इस कारण से वैधानिक रूप से रद्द किया जा रहा है कि पट्टे पर दी गई भूमि कृषि थी, इसलिए पट्टेदार किसी भी उल्लंघन की शिकायत नहीं कर सकते हैं।

प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत या अभिवचन के सख्त नियम जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के तहत आवश्यक हैं। इसलिए, पक्षकार भूमि की प्रकृति के बारे में विवाद से अवगत थे। इस प्रकार, पट्टेदार को विवाद करने के लिए मुड़ने की अनुमति नहीं दी जा सकती है

उन्हें पट्टे पर दी गई भूमि की प्रकृति। [पारस 63,66] [411-बी-डी; 412-ए]

बछाज नाहर बनाम। नीलिमा मंडल और अन्र। (2008) 17 एससीसी 491 [2008] 14 एससीआर 621; एलआरएस द्वारा राम सरूप गुप्ता (मृत)। वी. बिशुन नारायण इंटर कॉलेज एंड ओआरएस। (1987) 2 एससीसी 555: [1987] 2 एस. सी. आर. 805; भारत संघ बनाम इब्राहिम उद्दीन और अन्र। (2012) 8 एससीसी 148: [2012] 8 एससीआर 35; बिराजी उर्फ बृजराजी और अन्र। वी. सूर्य प्रताप और ओआरएस।

(2020) 10 एस. सी. सी. 729-लागू नहीं होता है।

नेदुनुरी कामेश्वरम्मा बनाम। सम्पती सुब्बा राव ए. आई. आर 1963 एस. सी. 884: [1963] एस. सी. आर. 208; स्वामी आत्मानंद और अन्य। वी. श्री रामकृष्ण तपोवनम और अन्य। (2005) 10 एससीसी 51: [2005] 3 एस. सी. आर. 556; नरेशभाई भागूभाई बनाम। भारत संघ (2019) 15 एससीसी 1: [2019] 10 एससीआर 88 -

पर भरोसा किया।

3.2 पट्टेदारों द्वारा उठाए गए तर्क में योग्यता है कि 1987 के अधिनियम के प्रारंभ से पहले निष्पादित पट्टे को इस कारण से रद्द नहीं किया जाएगा कि कोई पूर्व [2022] 17 एस. सी. आर. नहीं था।

मंजूरी मिल गई। पट्टे 1987 के अधिनियम के प्रारंभ से पहले दिए गए थे, लेकिन 1966 के अधिनियम, धारा 70 के तहत भी।

3.3 इसी तरह, यह तर्क कि भूमि अब शहरी के अधिनियमन को देखते हुए शहरी समूह के भीतर आती है भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) अधिनियम, 1976 फिर से मान्य नहीं है। सबसे पहले, उक्त अधिनियम 22.3.1999 पर निरस्त कर दिया गया है। इसके अलावा, केवल यह तथ्य कि भूमि नगरपालिका सीमा के भीतर आ गई है, जीयूएलएफ ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड।

वी. तेलंगाना राज्य और ओ. आर. एस.

यह भूमि को गैर-कृषि भूमि नहीं बनाएगा। इसका केवल यह अर्थ है कि नगरपालिका सीमा के भीतर की भूमि का उपयोग किया जा सकता है या भवनों का निर्माण इसके प्रावधानों के अनुसार किया जा सकता है।

नगरपालिका कानून उस पर लागू होते हैं। इसी तरह, यह तर्क कि विचाराधीन भूमि हैदराबाद शहरी विकास प्राधिकरण के संचार के अनुसार कुकटपल्ली के लिए क्षेत्रीय विकास योजना के साथ आती है, फिर से मान्य नहीं है। द जोनल

विकास योजना क्षेत्र के विकास की भविष्य की योजना है। इस प्रकार, भविष्य में, भूमि का उपयोग केवल क्षेत्रीय विकास योजना के अनुसार किया जा सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि कृषि

संचार भी टिकाऊ नहीं है। [पारस 70,71] [414-सी-एफ] 3.4 2014 की सिविल अपील संख्या 7761 में पट्टेदार के अनुरोध पर विचार करने का निर्देश है। तथापि, नियम 15

तेलंगाना धर्मार्थ और हिंदू धार्मिक संस्थान और बंदोबस्ती अचल संपत्ति और अन्य अधिकार (कृषि भूमि के अलावा) पट्टा और लाइसेंस नियम, 2003 कृषि भूमि पर इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए लागू नहीं होंगे कि धारा 82 (3) और (4) केवल उस भूमि और संपत्ति पर लागू होती है जो कृषि नहीं है। जब से जमीन मिली है अतः कृषि, 2003 के नियम विचाराधीन भूमि पर लागू नहीं होंगे। इस प्रकार, नियम 15 के तहत पट्टा अनुदान पर विचार करने के लिए पट्टेदार के अनुरोध पर विचार करने का निर्देश असमर्थनीय है और इसे अलग कर दिया जाता है। [पारस 72,73] [414-एफ-एच]

होप प्लांटेशन लिमिटेड बनाम। तालुक भूमि बोर्ड, पीरमाडे और अन्र। (1999) 5 एससीसी 590: [1998] 2 पूरक। एस. सी. आर. 514; धन कर आयुक्त बनाम। प्रभारी अधिकारी (न्यायालय)

वार्ड) (1976) 3 एस. सी. सी. 864: [1977] 1 एस. सी. आर. 146; सरिफाबीबी मोहम्मद इब्राहिम (एस. एम. टी.) बनाम। आयकर आयुक्त, गुजरात (1993) 4 पूरक एस. सी. सी. 707: [1993] 2

पूरक। एससीआर 264; आईटीसी लिमिटेड बनाम। ब्लू कोस्ट होटल

लिमिटेड (2018) 15 एससीसी 99: [2018] 5 एस. सी. आर. 516; महेश दत्तात्रेय तीर्थकर बनाम। महाराष्ट्र राज्य (2009) 11 एससीसी 141: [2009] 3 एससीआर 1122; ए. पी. बनाम राज्य नल्लामिल्ली रामी रेड्डी और अन्य। , (2001) 7 एससीसी 708: [2001] 2 पूरक। एस. सी. आर. 287; नागुबाई अम्मल और अन्य। वी.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

सभा, हैदराबाद बनाम। संयुक्त कलेक्टर, हैदराबाद 2004 एस. सी. सी. ऑनलाइन ए. पी. 689-संदर्भित।

मामला कानून संदर्भ

[1998] 2 पूरक। एससीआर 514

संदर्भित किया गया है

पैरा 16

[1977] 1 एससीआर 146

संदर्भित किया गया है

पैरा 18

[1993] 2 पूरक। एससीआर 264

संदर्भित किया गया है

पैरा 18

[2018] 5 एससीआर 516

संदर्भित किया गया है

पैरा 18

[2009] 3 एससीआर 1122

संदर्भित किया गया है

पैरा 22

[2001] 2 पूरक। एससीआर 287

संदर्भित किया गया है

पैरा

27

[1956] एससीआर 451

संदर्भित किया गया है

पैरा

37

[1963] एससीआर 208

उस पर भरोसा करें

पैरा

38

[2005] 3 एससीआर 556

उस पर भरोसा करें

पैरा

37

[2019] 10 एससीआर 88

उस पर भरोसा करें

पैरा

68

[2008] 14 एससीआर 621

अप्रयोज्य रखा गया

पैरा

17

[1987] 2 एससीआर 805

लागू नहीं होने वाला पैरा 17

[2012] 8 एससीआर 35

लागू नहीं होने वाला पैरा 21

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं। 7759

7760 2014 से।

उच्च न्यायालय के 07.03.2013 दिनांकित निर्णय और आदेश से

2011 के डब्ल्यू. पी. सं. 31893 और 2012 के डब्ल्यू. पी. सं. 8005 में हैदराबाद में आंध्र प्रदेश में न्यायपालिका।

के साथ

2014 की सिविल अपील सं. 7761।

हरीश साल्वे, पराग पी. त्रिपाठी, कपिल सिब्बल, केवी विश्वनाथन,

सी. एस. वैद्यनाथन, वरिष्ठ अधिवक्ता। , सुश्री मुमताज भल्ला, करण देव चोपड़ा, नीरज मलिक, लक्ष्य कंपानी, श्रीनिवासन रामास्वामी, शगुन रुहिल, अभय कुमार, सुश्री उत्तरा बब्बर, मनन बंसल, सुश्री शिप्रा जैन, निज़ान पाशा, सुश्री अपराजित जामवाल, अमर्त्य शरण, एम. जी. अरविंद राज, शिवज्ञानम कार्तिकेयन, पी. वेंकट रेड्डी, प्रशांत कुमार त्यागी, पी. श्रीनिवास रेड्डी। वेंकट पलवई लॉ एसोसिएट्स, महफूज अहसान नाज़की, अधिवक्ता। उपस्थित दलों के लिए।

गुल्फ ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। वी. तेलंगाना राज्य और ओ. आर. एस.

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

हेमंत गुप्ता, जे।

1. सिविल अपील सं. में चुनौती। 7759-7760 2014 का आदेश आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा लिखित रूप में पारित 7.3.2013 दिनांकित आदेश के लिए है।

बंदोबस्ती अधिनियम, 1987 2. पट्टेदार ने हैदराबाद के कुकटपल्ली गाँव में स्थित 540 एकड़ और 30 गुंटा की भूमि पर पट्टे के अधिकारों का दावा किया। 2. 2012 की रिट याचिका संख्या 8005 से उत्पन्न, उक्त भूमि के पट्टेदार, श्री उदासिन मठ 3 द्वारा 2014 की सिविल अपील संख्या 7761 को प्राथमिकता दी गई है। उक्त रिट याचिका का फैसला पट्टेदार द्वारा दायर रिट याचिका के साथ किया गया था। मठ ने 1987 के अधिनियम की धारा 83 (6) के संदर्भ में बहुत अधिक लाभ का दावा किया है। हालाँकि, रिट याचिका का निपटारा तेलंगाना धर्मार्थ और हिंदू धार्मिक संस्थानों और बंदोबस्ती अचल संपत्ति और अन्य अधिकार (कृषि भूमि के अलावा) पट्टे और लाइसेंस नियम, 20034 के नियम 15 के तहत पट्टेदार के अनुरोध पर विचार करने के निर्देश के साथ किया गया था, जिसे सरकारी आदेश ज्ञापन संख्या 866 दिनांक 8.8.2003 के माध्यम से प्रकाशित किया गया था।

3. 540 एकड़ और 30 गुंटा से अधिक सूखी मिट्टी की भूमि हैदराबाद के निजाम द्वारा मठ को इनाम भूमि के रूप में दी गई थी।

कहीं वर्ष 1873 में। मठ ने 143 एकड़ इनाम भूमि के संबंध में पट्टेदार के पूर्ववर्ती मेसर्स इंडियन डिटोनेटर्स के साथ पट्टा देने का समझौता किया, जिसमें सर्वेक्षण सं.

1010/8 1010/10 तक। मेसर्स इंडियन डिटोनेटर्स के हित में उत्तराधिकारी होने का दावा करने वाला पट्टेदार, 24.02.1964 पर इनाम भूमि के पट्टे में प्रवेश करने के लिए सरकार द्वारा दी गई अनुमति पर निर्भर करता है।

4. इसके बाद पट्टेदार ने मेसर्स इंडियन डिटोनेटर्स के साथ 257 एकड़ और 19 गुंटा भूमि पट्टे पर लेने के लिए एक समझौता किया।

इनाम भूमि। 2 एकड़ और 32 गुंटा भूमि के लिए दिनांकित पूरक पट्टा विलेख भी निष्पादित किया गया था।

1 संक्षेप में, 'पट्टेदार' 2 संक्षेप में, '1987 अधिनियम' 3 संक्षेप में 'लेसर' या 'मठ' 4 संक्षेप में, '2003 नियम' [2022] 17 एस. सी. आर.

5. आयुक्त, बंदोबस्ती विभाग ने सूचित किया

137 एकड़ 19 गुंटा भूमि के 99 वर्षों के प्रस्तावित लंबे पट्टे को मंजूरी देने के लिए राजस्व (बंदोबस्ती) विभाग के सचिव को। यह भी सूचित किया गया कि चूंकि पट्टा 6 वर्ष से अधिक था, इसलिए सरकार की मंजूरी है -

आंध्र प्रदेश धर्मार्थ और हिंदू धार्मिक संस्थान और बंदोबस्ती अधिनियम, 19665 की धारा 70 के तहत आवश्यक। 1966 के अधिनियम की धारा 70 इस प्रकार हैः

" 70. इनम का पट्टा, बिक्री आदि कुछ मामलों में अमान्य होगाः

छह वर्ष से अधिक की अवधि के लिए कोई पट्टा और कोई उपहार, बिक्री,

(1)

के लिए दी गई इनाम भूमि का विनिमय या बंधक

किसी धर्मार्थ या धार्मिक संस्था या दान का समर्थन या रखरखाव या किसी धार्मिक या सार्वजनिक दान या सेवा के प्रदर्शन के लिए, तब तक अमान्य होगा जब तक कि ऐसा कोई लेनदेन, जो उपहार नहीं है, सरकार की पूर्व मंजूरी से प्रभावित नहीं होता है।

(2)

ऐसी पूर्व मंजूरी सरकार द्वारा दी जा सकती है।

जहाँ वे मानते हैं कि लेनदेन है

((i) संस्था या बंदोबस्ती के लिए आवश्यक या लाभकारी;

((ii) संस्था के उद्देश्यों के अनुरूप या

दान और;

((ग) उस पर विचार उचित और उचित है।

इस धारा के प्रावधान किसी भी इनाम पर लागू नहीं होंगे।

(3)

राज्य के आंध्र क्षेत्र में भूमि। "

6. यह 10.05.1976, आंध्र प्रदेश सरकार पर था।

मेसर्स को 137 एकड़ और 19 गुंटा भूमि पट्टे पर देने की मंजूरी दी गई। इंडियन डिटोनेटर्स लिमिटेड। इसके बाद, आई. डी. 1 पर, पट्टेदार ने मैसर्स इंडियन डिटोनेटर्स लिमिटेड के साथ 137 एकड़ 19 गुंटा भूमि के लिए 99 साल की अवधि के लिए एक और पट्टा विलेख किया। 7. 143 एकड़ के संबंध में दिनांकित पट्टा विलेख और 257 एकड़ के संबंध में दिनांकित पट्टा विलेख का अवलोकन और

19 भूमि के गुंटे विशेष रूप से उल्लेख करते हैं कि पट्टा इनाम भूमि का है। पट्टेदार द्वारा निष्पादित विभिन्न पट्टा विलेखों का सारांश प्रस्तुत किया जाता है।

इसके नीचेः

संक्षेप में, '1966 अधिनियम' स्व-तेल निगम लिमिटेड।

वी. तेलंगाना राज्य और ओ. आर. एस. [हेमंत गुप्ता, जे।]

दस्तावेज़ संख्या & एस. आई. नहीं।

छोटा।

पट्टेदार

विस्
तार

तिथि

महांत

मेसर्स इंडियन

366

1010/8 1010/10 143-
00
तक
1010/11 (पी)

डिटेनेटर्स

23.7.1964

बाबा सेवा

सीमित

1010/12 को

दास

1010/15
1024 , 1026

-करें।

-करें।

25
7-19

1010/1 को

889

14.09.1966

1030 , 1038 , 1039 ,
1010 , 1041

उदासिन मठ मेसर्स इंडियन

पूरक

1010/11

2

महांत बाबा। डिटेनेटर्स

लीज

कार्य

32

ज्ञान दास जी लिमिटेड

21.3.1969

1028 , 1036 , 1037 ,

13
7-19

महांत बाबा मेसर्स आई. डी. एल.

1817/75

डायनान दास केमिकल

28.9.1978

1042 , 1066 , 1067 ,
1068 , 1069 और

चेला

लिमिटेड का

महांत

1070

पूरन दास

कुल

54

0.30

8. 1987 का अधिनियम 21.04.1987 पर लागू हुआ, जिसे निरस्त करते हुए एक्ट करें। 1987 के अधिनियम की धारा 82 में एक गैर-अवरोधक खंड है ताकि - किसी को पट्टे के अलावा कृषि भूमि के किसी भी पट्टे को रद्द करने का विचार करें। एक गरीब व्यक्ति। 1987 के अधिनियम की धारा 82 इस प्रकार हैः

" 82. कृषि भूमि का पट्टाः

(1) कृषि भूमि का कोई पट्टा जो उससे संबंधित है या दिया गया है या किसी भी संस्था या दान के उद्देश्य के लिए संपन्न इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख को अस्तित्व में रहने वाले, तत्काल किसी अन्य कानून में कुछ भी होने के बावजूद बल में, एक ऐसे व्यक्ति द्वारा आयोजित जो भूमिहीन गरीब व्यक्ति नहीं है रद्द कर दिया गया है।

(2)

XXX

XXX

XXX

(3)

पट्टा या लाइसेंस को मंजूरी देने का प्राधिकरण या से संबंधित कोई संपत्ति या कोई अधिकार या ब्याज

किसी धर्मार्थ या दान के उद्देश्य से दिया गया या दिया गया धार्मिक संस्था या दान, वह तरीका जिसमें और

वह अवधि जिसके लिए ऐसा पट्टा या लाइसेंस ऐसा होगा -

निर्धारित किया जा सकता है।

किसी भी अचल संपत्ति का प्रत्येक पट्टा या लाइसेंस, अन्य

(4)

कृषि भूमि से संबंधित, या दी गई या संपन्न किसी धर्मार्थ या धार्मिक संस्था के प्रयोजन के लिए या

प्रारंभ होने की तारीख [2022] 17 एस. सी. आर.

इस अधिनियम का उप-धारा (3) के तहत निर्धारित नियमों के अधीन रहते हुए भी लागू रहेगा।

(5) [आंध्र प्रदेश (आंध्र क्षेत्र) के प्रावधान

किरायेदारी अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम XVIII) और आंध्र प्रदेश (तेलंगाना क्षेत्र) किरायेदारी और कृषि भूमि अधिनियम, 1950 (1950 का अधिनियम XXI) किसी भी धर्मार्थ या धार्मिक संस्थानों या बंदोबस्ती के उद्देश्य से दी गई या दी गई भूमि के किसी भी पट्टे पर लागू नहीं होंगे।

इस अधिनियम में परिभाषित] "

9. हैदराबाद इनाम उन्मूलन विधेयक (विधेयक सं। 1954 का XVIII) हैदराबाद राजपत्र असाधारण No.86 में 10.04.1954 पर प्रकाशित हुआ था।

इस तरह के कानून को लागू करने के उद्देश्यों में से एक धार्मिक और धर्मार्थ संस्थानों द्वारा आयोजित ग्राम सेवा इनाम और इनाम के अलावा सभी इनामों को समाप्त करना था। इस तरह के विधेयक के अनुसरण में, हैदराबाद इनाम उन्मूलन अधिनियम, 19557 अधिनियमित किया गया। इस तरह के अधिनियम को 16.07.1955 पर राष्ट्रपति की सहमति मिली और इसे 20.07.1955 के हैदराबाद राजपत्र असाधारण संख्या 90 में प्रकाशित किया गया। इस अधिनियम को अब तेलंगाना इनाम उन्मूलन अधिनियम, 1955 के रूप में जाना जाता है। प्रारंभ में, इनाम उन्मूलन अधिनियम धर्मार्थ और धार्मिक संस्थानों [धारा 1 (2) (i)] द्वारा या उनके लाभ के लिए रखे गए इनामों पर लागू नहीं था। हालाँकि उक्त प्रावधान को आंध्र प्रदेश (संशोधन) अधिनियम द्वारा हटा दिया गया था।

1985 (1985 का अधिनियम सं. 29) 26.12.1985 से प्रभावी। इसके बाद इनाम उन्मूलन अधिनियम में आंध्र प्रदेश (संशोधन) अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्या 19) के माध्यम से संशोधन किया गया, जिसके तहत इनाम उन्मूलन अधिनियम की धारा 4 (1) में पूर्वव्यापी प्रभाव से एक परंतुक जोड़ा गया, जिस तारीख को धारा 1 (2) (i) को हटा दिया गया था। अंतःस्थापित खंड और उक्त इनाम के उन्मूलन के अन्य प्रासंगिक प्रावधान अधिनियम इस प्रकार हैः

8 " [1 (2) यह पूरे हैदराबाद राज्य में फैला हुआ है और सभी इनामों पर लागू होगा सिवाय इसके कि -

(i) धर्मार्थ और धार्मिक द्वारा या उनके लाभ के लिए आयोजित इनाम

संस्थान;

6 2002 के अधिनियम संख्या 27, डब्ल्यू. ई. एफ. 26-8-2002 द्वारा जोड़ा गया। 7 इनाम उन्मूलन अधिनियम 8 ए. पी. द्वारा हटा दिया गया (संशोधन) अधिनियम, 1985 (1985 का अधिनियम संख्या 29) डब्ल्यू. ई. एफ. 26.12.1985 जी. यू. एल. एफ. ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड।

वी. तेलंगाना राज्य और ओ. आर. एस. [हेमंत गुप्ता, जे।]

((ii) ग्राम सेवा को उपयोगी बनाने के लिए आयोजित इनाम

सरकार या ग्राम समुदाय सहित सेथसेंधी, नीराडी और बालुथा इनाम।]

XX

XX

XX

3. इनामों का उन्मूलन और निहित करना और उसके परिणाम

(1) इसके विपरीत कुछ भी होने के बावजूद

उपयोग, निपटान, अनुबंध, अनुदान, सनद, आदेश या अन्य

लिखत, अधिनियम, विनियम, नियम या आदेश जिसका बल होता है

कानून और किसी निर्णय, डिक्री या आदेश के बावजूद

सिविल, राजस्व या अतियत न्यायालय, और तारीख से प्रभावी

निहित करने के लिए, सभी इनाम को समाप्त कर दिया गया माना जाएगा

(2) के प्रावधानों द्वारा या उनके तहत स्पष्ट रूप से प्रदान किए गए अनुसार बचत करें इस अधिनियम और निहित करने की तारीख से प्रभावी, निम्नलिखित

परिणाम निम्नलिखित होंगेः

XXX

XXX

XXX

(ग) ऐसी सभी इनाम भूमि भूमि के भुगतान के लिए उत्तरदायी होंगी।

आय; (घ) उपकर और रॉयल्टी सहित सभी किराए और भूमि राजस्व,

ऐसी इनाम भूमि के संबंध में उपार्जित होने की तारीख को या उसके बाद

और इस खंड के उल्लंघन में किया गया कोई भी भुगतान वैध नहीं है;

4 ((1) XXX

XXX

XXX

[बशर्ते कि जहां इनाम द्वारा या उनके लाभ के लिए रखे जाते हैं

धर्मार्थ और धार्मिक संस्थान जिनका कोई भी व्यक्ति हकदार नहीं होगा। धारा 5,6,7 और 8 के तहत एक निवासी के रूप में पंजीकृत होना और

खंड (क) और (ग) में विनिर्दिष्ट भूमि के अलावा अन्य सभी इनाम भूमि परिवार के साढ़े चार गुना तक सीमा के प्रतिबंध के बिना

व्यक्तिगत खेती की शर्त के बिनाः

बशर्ते कि जहां इसके अलावा कोई अन्य व्यक्ति

संबंधित धर्मार्थ या धार्मिक संस्थान पंजीकृत किया गया है।

ए. पी. (संशोधन) अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्या 19) 26.12.1985 से पूर्वव्यापी के साथ।

2] 17 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

इनाम (संशोधन) अधिनियम, 1985 का ऐसा पंजीकरण होगा और होगा। हमेशा शून्य और शून्य माना जाएगा और कोई प्रभाव नहीं होगा

ऐसे पंजीकरण को दिया जाए] "

XXX

XXX

XXX

9. गैर-भवनों के लिए उपयोग की जाने वाली कुछ इमारतों और इनाम भूमि का निहित होना।

कृषि उद्देश्य।

(1) इनम के भीतर स्थित प्रत्येक निजी भवन प्रभावी होगा।

निहित करने की तारीख से, उस व्यक्ति को निहित करें जो इसके मालिक हैं

उस तारीख से तुरंत पहले।

कृषि से असंबद्ध, ऐसी भूमि का धारक होगा - भूमि रखने का हकदार है बशर्ते कि ऐसा रूपांतरण नहीं किया गया था

लागू किसी भी कानून के तहत अमान्य या अवैध।

(3) उप-धारा (1) के तहत निजी भवनों या भूमि को निहित करना।

या (2) गैर-कृषि निर्धारण के भुगतान के अधीन होगा।

जो सरकार द्वारा समय-समय पर लगाया जा सकता है।

10. 1987 के अधिनियम की धारा 82 ने वैधानिक रूप से पट्टा विलेखों को रद्द कर दिया

यदि किसी संस्था के उद्देश्य के लिए संपन्न किया गया हो। 1987 के अधिनियम की धारा 75 में घोषणा की गई है कि धर्मार्थ या धार्मिक संस्थान, या बंदोबस्ती के समर्थन या रखरखाव के लिए या किसी धार्मिक या सार्वजनिक दान या सेवा के प्रदर्शन के लिए दी गई इनाम भूमि का कोई पट्टा और कोई उपहार, बिक्री, विनिमय या बंधक अमान्य होगा, जब तक कि ऐसा लेनदेन, जो उपहार नहीं है, सरकार की पूर्व मंजूरी से प्रभावित नहीं होता है। तथ्यों के अवलोकन से पता चलता है कि पूर्व अनुमोदन केवल 137 के संबंध में था।

19 एकड़ गुंटा भूमि जिसके आधार पर पंजीकृत पट्टा विलेख 20.04.1978 पर निष्पादित किया गया था। हालांकि, 143 एकड़ के संबंध में दिनांकित पट्टा विलेख, 257 एकड़ के संबंध में दिनांकित पट्टा विलेख,

19 गुंटे और 2 एकड़ के संबंध में पूरक पट्टा विलेख, 32 गुंटे, किसी भी पूर्व मंजूरी के साथ पहले नहीं किए गए थे। यद्यपि सरकार के द्वितीय सचिव का एक नोट है कि 99 वर्षों के लिए पट्टा संपत्ति के हस्तांतरण के बराबर नहीं होगा, लेकिन ऐसा नोट सरकार की फाइल में है और किसी भी इच्छुक पक्ष को सूचित नहीं किया गया था।

गुल्फ ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। वी. तेलंगाना राज्य और ओ. आर. एस. [हेमंत गुप्ता, जे।]

11. यह प्रस्तुत किया जाता है कि पट्टेदार को नवंबर 2006 तक किसी भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ा, जब तक कि पूर्ववर्ती महांत बाबा सागरदास बिना किसी समारोह के थे। हटा दिया गया। यह 24.08.2007 पर था, मठ के महंत श्री अरुण दास जी की ओर से एक नोटिस, खाली कब्जे की डिलीवरी के लिए, इलाज के लिए दिया गया था

एक अतिक्रमणकारी के रूप में पट्टेदार। बाद में, मठ ने सहायक आयुक्त (बंदोबस्ती) को पट्टेदार को बेदखल करने के लिए इस आधार पर लिखा कि 20 एकड़ भूमि पर एक कब्रिस्तान बना है और इस प्रकार पट्टे की शर्तों का उल्लंघन किया गया है। सहायक आयुक्त ने निरीक्षक, धर्मादा विभाग के कार्यालय से निरीक्षण रिपोर्ट माँगी। आई. डी. 1 पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी, जिसमें सहायक आयुक्त, बंदोबस्ती विभाग को सूचित किया गया था कि तीन पट्टा विलेख सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना हैं। केवल दिनांकित पट्टा विलेख 20.04.1978 पूर्व अनुमोदन के साथ था।

यह सूचित किया गया कि 4 पट्टा विलेख पूरी तरह से अमान्य हो गए हैं

और 1966 अधिनियम, 1987 अधिनियम और सरकारी आदेश No.866 दिनांक 08.08.2003 के तहत बनाए गए नियमों के अनुसार अमान्य है। 12. वर्तमान अपीलों की ओर ले जाने वाली कार्यवाही तब शुरू की गई थी जब डिप्टी द्वारा दिनांकित 20.12.2008 का कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।

आयुक्त, धर्मादा विभाग, हैदराबाद। पट्टेदारकेँ कारण देखाउ नोटिसक अनुसरणमे शुरू कयल गेल कार्यवाहीकेँ उपायुक्त, बंदोबस्ती विभागक समक्ष एकटा मूल आवेदन No.21/2008 देल गेल छल, जकरा बाद मे बंदोबस्ती न्यायाधिकरणक गठनक बाद 2010 क ओ. ए. सं. 579 क रूपमे बदलि देल गेल। पट्टेदार को मठ की भूमि पर अतिक्रमण हटाने के लिए कहा गया था। 13. यह तर्क दिया गया है कि बंदोबस्ती न्यायाधिकरण ने इस आधार पर बेदखली का एक स्पष्ट रूप से विकृत आदेश पारित किया कि पट्टे पर दी गई भूमि

यह कृषि प्रकृति का था और इसलिए 1987 के अधिनियम की धारा 82 के अनुसार पट्टा विलेख अमान्य था। बंदोबस्ती न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश के खिलाफ रिट याचिका असफल रही। यह रिट याचिका में पारित उक्त आदेश है जो वर्तमान अपीलों में चुनौती का विषय है।

14. पट्टेदार की ओर से श्री हरीश साल्वे का तर्क है कि इस पर न तो मठ ने जोर दिया था और न ही कोई मुद्दा तैयार किया गया था

भूमि को कृषि भूमि के रूप में मानने के संबंध में। इसलिए, भूमि के कृषि भूमि होने के किसी भी सबूत के अभाव में, बंदोबस्ती न्यायाधिकरण द्वारा दर्ज और उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि किए गए निष्कर्ष को नुकसान होता है। बिना किसी याचिका या साक्ष्य के पेटेंट अवैधता से, एक निष्कर्ष [2022] 17 एस. सी. आर. है।

अपीलार्थी के पक्ष में निष्पादित पट्टा विलेख घोषित करने के लिए लौटाया गया

इस आधार पर रद्द कर दिया गया कि पट्टा कृषि भूमि का था।

15. श्री साल्वे ने आंध्र प्रदेश (तेलंगाना क्षेत्र) की धारा 24 के तहत एक अपील में संयुक्त कलेक्टर द्वारा पारित एक आदेश का उल्लेख किया

इनाम अधिनियम, 1955 का उन्मूलन, जिसमें एक निष्कर्ष दिया गया था कि 1973 से पहले विचाराधीन भूमि को गैर-कृषि उपयोग के लिए परिवर्तित कर दिया गया था। अपील में चुनौती के तहत आदेश राजस्व मंडल अधिकारी द्वारा दिनांक 27.11.2004 पर पारित एक आदेश था। 16. यह तर्क दिया जाता है कि संयुक्त कलेक्टर का आदेश अंतिम है और इस प्रभाव के लिए एक अवरोध के रूप में कार्य करता है कि पट्टे पर दी गई इनाम भूमि गैर-कृषि प्रकृति की है और बंदोबस्ती न्यायाधिकरण का तथ्य एक विकृत निष्कर्ष देकर इसमें तल्लीन होना अस्वीकार्य है। रिलायंस को होप प्लांटेशन लिमिटेड बनाम के रूप में रिपोर्ट किए गए इस न्यायालय के फैसले पर रखा गया है। तालुक भूमि बोर्ड, पीरमाडे और अन्र। 10 कि यदि कोई मुद्दा अंततः निर्धारित किया गया है, तो पक्ष इस तरह के निष्कर्ष पर विवाद नहीं कर सकते हैं।

17. यह मुद्दा कि क्या भूमि कृषि भूमि है, पहली बार मठ द्वारा पहले प्रस्तुत लिखित दलीलों में उठाया गया था।

सहायक आयुक्त (बंदोबस्ती) की रिपोर्ट पर भरोसा करते हुए बंदोबस्ती न्यायाधिकरण। यह प्रस्तुत किया जाता है कि तर्क उठाया गया है

मठ द्वारा पट्टेदार द्वारा उठाई गई लिखित दलीलों में विशेष रूप से तर्क दिया गया था कि पहली बार एक नई याचिका दायर की गई थी

लिखित तर्क कि भूमि कृषि भूमि थी। रिलायंस को इस अदालत के फैसले पर रखा गया है जिसे बछाज नाहर बनाम के रूप में रिपोर्ट किया गया है। नीलिमा मंडल & Anr.[11] 11 जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया था कि एक बार एक विशेष याचिका नहीं उठाई जाती है और प्रतिवादियों को इस तरह की राहत का विरोध या विरोध करने का कोई अवसर नहीं मिलता है, इससे न्याय की विफलता होगी। रिलायंस को इस अदालत के एक फैसले पर भी रखा गया था जिसे एल. आर. एस. द्वारा राम सरूप गुप्ता (मृत) के रूप में रिपोर्ट किया गया था। वी. बिशुन नारायण इंटर कॉलेज और Ors.[12]

18. यह तर्क दिया जाता है कि कृषि और गैर-कृषि भूमि के बीच का अंतर आंध्र की धारा 3 को पढ़ने से स्पष्ट होता है।

प्रदेश गैर-कृषि आकलन अधिनियम, 1963, जो गैर-कृषि भूमि के मूल्यांकन का प्रावधान करता है। ए. पी. कृषि भूमि (गैर-कृषि उद्देश्यों के लिए रूपांतरण) अधिनियम, 2006 ने कृषि और गैर-कृषि के बीच अंतर रखते हुए 1963 के अधिनियम को निरस्त कर दिया।

10 (1999) 5 एससीसी 590 11 (2008) 17 एससीसी 491 12 (1987) 2 एससीसी 555 जीयूएलएफ ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड।

वी. तेलंगाना राज्य और ओ. आर. एस. [हेमंत गुप्ता, जे।]

भूमि। आंध्र प्रदेश (तेलंगाना क्षेत्र) भूमि राजस्व अधिनियम, 1317 की धारा 28 का संदर्भ दिया गया था कि धारा में भूमि

1 (ख) भूमि से संबंधित सभी प्रकार के लाभ शामिल हैं और गैर-कृषि भूमि के लिए भी भूमि राजस्व का भुगतान किया जाता है। यह तर्क दिया गया है कि धारा 82 केवल तभी लागू होगी जब भूमि के पट्टे का उपयोग केवल कृषि उद्देश्य के लिए किया जाता है। धन कर आयुक्त बनाम के रूप में रिपोर्ट किए गए इस न्यायालय के फैसलों पर रिलायंस को रखा गया था। प्रभारी अधिकारी (वार्ड न्यायालय) 1313, सरिफाबीबी मोहम्मद इब्राहिम (एस. एम. टी.) बनाम। आयकर आयुक्त, गुजरात 1 4 और आई. टी. सी. लिमिटेड v. ब्लू कोस्ट होटल्स लिमिटेड 1 5 15 संपत्ति कर और आयकर जैसे कराधान कानूनों में कृषि भूमि से संबंधित है। यह भी तर्क दिया जाता है कि 99 वर्ष की अवधि के लिए निष्पादित पट्टा विलेखों को 5 वर्ष की नोटिस अवधि की शर्तों के उल्लंघन के साथ-साथ पट्टा की समाप्ति के गैर-मौजूदा आधार पर समाप्त नहीं किया जा सकता है। यह भी तर्क दिया जाता है कि सहायक कलेक्टर, बंदोबस्ती की रिपोर्ट जांच पर है और न्यायाधिकरण के समक्ष सबूत नहीं है जिसे पट्टेदार के पक्ष में पट्टे को समाप्त करने का आधार बनाया जा सकता है। 19. यह तर्क दिया जाता है कि पट्टा समाप्त करने का नोटिस 11.10.2007 पर इस आधार पर जारी किया गया था कि मठ ने पट्टा लिया था

आई. डी. एल. और आई. डी. एल. केमिकल्स लिमिटेड के साथ समझौते और अपीलार्थी के साथ नहीं; अपीलार्थी ने अधिकांश भूमि को छोड़ दिया, जिससे अतिक्रमणकारियों को भूमि पर कब्जा करने की अनुमति मिली और मठ की भूमि को कब्रिस्तान में परिवर्तित किया जा रहा है।

20. यह माना गया कि बेदखली की कार्यवाही केवल बेदखली नोटिस की शर्तों के अनुरूप हो सकती है जो अस्पष्टता और अस्पष्टता के लिए कोई जगह नहीं देती है। नोटिस में, पट्टे पर दी गई इनाम भूमि की प्रकृति का कोई मुद्दा नहीं उठाया गया था, लेकिन मठ द्वारा अपनी लिखित दलीलों में गुप्त रूप से प्रतिस्थापित किया गया था। इस पर गलत तरीके से विचार किया जाता है और न्यायाधिकरण द्वारा निर्णय लिया जाता है और उच्च न्यायालय द्वारा इसे बरकरार रखा जाता है। यह 1987 के अधिनियम की केवल धारा 75 ही लागू होगी जो इनाम भूमि के मामले में सरकार की पूर्व अनुमति पर विचार करती है।

21. यह तर्क दिया जाता है कि याचिका के समर्थन में सबूत पेश किए जा सकते हैं

न्यायालय द्वारा विचार किया गया। रिलायंस को भारत संघ बनाम पर रखा गया है। 13 (1976) 3 एस. सी. सी. 864 14 (1993) पूरक 4 एस. सी. सी. 707 15 (2018) 15 एस. सी. सी. 99 [2022] 17 एस. सी. आर.

इब्राहिम उद्दीन & Anr.[1]6, और बिराजी उर्फ बृजराजी & अन्र। वी. सूर्य प्रताप और ओआरएस। 1 7 17.

22. अपीलार्थियों ने आगे तर्क दिया कि साक्ष्य के अभाव में अदालत के किसी भी निष्कर्ष को कायम नहीं रखा जा सकता है। किसी दस्तावेज़ के आधार पर ऐसा निष्कर्ष जो रिकॉर्ड में नहीं रखा गया है, प्राकृतिक न्याय, निष्पक्षता और निष्पक्षता के सिद्धांतों का उल्लंघन है। रिलायंस को महेश दत्तात्रेय तीर्थकर बनाम पर रखा गया है। महाराष्ट्र राज्य 1 8. यह तर्क दिया जाता है कि चूंकि इंस्पेक्टर दिनांकित 29.1.2008 की रिपोर्ट को रिकॉर्ड में नहीं रखा गया था, इसलिए पट्टेदार को इस दावे का खंडन करने का मौका नहीं दिया गया कि भूमि एक कृषि भूमि है।

23. यह आगे तर्क दिया गया है कि उच्च न्यायालय का विवादित आदेश विकृत है और उच्च न्यायालय का निर्णय

24. श्री साल्वे ने आगे हैदराबाद शहरी विकास प्राधिकरण से आई. डी. 1 दिनांकित संचार पर भरोसा किया कि यह भूमि कुकटपल्ली के लिए क्षेत्रीय विकास योजना के अंतर्गत आती है। 25.04.1986 पर अनुमोदित क्षेत्र और उक्त योजना के अनुसार एक औद्योगिक क्षेत्र के रूप में निर्धारित किया गया है। इस प्रकार, यह तर्क दिया गया कि बंदोबस्ती न्यायाधिकरण ने इस कारण के बावजूद कि कोई मुद्दा नहीं बनाया गया था, भूमि को गलत तरीके से कृषि माना। निष्कर्ष क्रम में एक अवलोकन के आधार पर आधारित है

18 (2009) 11 एससीसी 141

19 2010 एससीसी ऑनलाइन एपी 461 जीयूएलएफ ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। वी. तेलंगाना राज्य और ओ. आर. एस. [हेमंत गुप्ता, जे।]

पट्टेदार द्वारा दायर 2010 की रिट याचिका संख्या 24440 में उच्च न्यायालय द्वारा पारित। यह भी तर्क दिया जाता है कि सिद्धार्थ अकादमी में उच्च न्यायालय का यह निर्णय कि भूमि कृषि है और पट्टा समाप्त कर दिया गया है, कानूनी रूप से असमर्थनीय है। उक्त आदेश की पुष्टि आई. डी. 1 पर अपील में की गई थी जिसमें कहा गया था कि गैर-कृषि उद्देश्य के लिए भूमि का उपयोग 1987 के अधिनियम की धारा 82 के उद्देश्य के लिए महत्वहीन है।

25. यह तर्क दिया गया है कि शहरी भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) अधिनियम, 1976 को वर्ष 1976 में पारित किया गया था।

कुकटपल्ली की भूमि शहरी भूमि बन गई। इसलिए, शहरी भूमि एक शहरी समूह की सीमा के भीतर स्थित भूमि है और जिसे मास्टर प्लान में संदर्भित किया गया है और जहां कोई मास्टर प्लान नहीं है, कोई भी भूमि शहरी समूह की सीमा के भीतर और किसी भी क्षेत्र में स्थित है।

नगरपालिका की स्थानीय सीमाओं के भीतर शामिल (जो भी नाम से जाना जाता है), एक अधिसूचित क्षेत्र समिति, एक नगर क्षेत्र समिति, एक नगर और नगर समिति, एक छोटा नगर समिति, एक छावनी बोर्ड या एक पंचायत। इसलिए, उपरोक्त अधिनियम के अधिनियमन के साथ, कृषि भूमि गैर-कृषि शहरी भूमि में बदल गई।

26. यह तर्क दिया जाता है कि भूमि राजस्व के भुगतान की अवधि मानक बॉयलर प्लेट खंड हैं और पट्टेदार द्वारा पट्टे पर दी गई इनाम भूमि के लिए कभी भी भूमि राजस्व का भुगतान नहीं किया गया है।

27. पट्टेदार द्वारा उठाए गए तर्कों का मठ द्वारा विरोध किया गया है कि भूमि की प्रकृति कृषि थी और अनुभाग के संचालन से

82 1987 के अधिनियम के अनुसार पट्टा वैधानिक रूप से रद्द कर दिया गया है। यह तर्क दिया जाता है कि भूमि की प्रकृति पर विचार करना महत्वपूर्ण है न कि उद्देश्य पर।

जिस पर पट्टेदार द्वारा भूमि का उपयोग किया जाना है। यह आगे बताया गया है कि धारा 82 की वैधता को इस न्यायालय द्वारा ए. पी. बनाम राज्य के रूप में रिपोर्ट किए गए एक फैसले में बरकरार रखा गया है। नल्लामिल्ली रामी रेड्डी और Ors.[21], जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया था कि 1987 के अधिनियम की धारा 82 का उद्देश्य धार्मिक संस्थानों के हितों की रक्षा करना और ऐसी संस्थाओं को "अमीर और शक्तिशाली व्यक्तियों की पकड़" से बचाना है।

28. यह भी बताया गया है कि 1987 के अधिनियम से पहले न्यायमूर्ति सी. कोंडैया की अध्यक्षता वाले आयोग द्वारा एक रिपोर्ट दी गई थी।

आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। पैरा 1.18। 1 रिपोर्ट इस प्रकार हैः

20 अपील सं. लिखें। 488 , 489 और 2011 का 490 21 (2001) 7 एस. सी. सी. 708

" यह कहा गया है कि धर्मार्थ या धार्मिक संस्थानों में रुचि रखने वाले सभी संबंधित लोगों ने कहा है कि मंदिर के अधिकारियों को संस्थानों की भूमि संपत्तियों के प्रबंधन में असंख्य कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, आय बहुत कम है, उल्लेखनीय नहीं है, और कुछ मामलों में यह शून्य है, हालांकि संस्थान के पास बड़ी मात्रा में भूमि है। इसके कारण किरायेदारी अधिनियम के प्रावधान, कई वर्षों से कब्जे और आनंद लेने वाले व्यक्तियों का रवैया है, इन संस्थानों से संबंधित भूमि ज्यादातर अमीर और शक्तिशाली वर्गों के हाथों में है, जिनके खिलाफ संबंधित अधिकारियों को उन्हें भूमि से बेदखल करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। न्यासी या अर्चक अपने रिश्तेदारों आदि के नाम पर बेनामी रखी गई भूमि का आनंद लेते हैं। अधिकारियों की भी उनके साथ मिलीभगत है। किरायेदारों द्वारा भुगतान किया गया किराया दशकों पहले नाममात्र तय किया गया था। अनुमान

समिति ने भी यही राय व्यक्त की।

29. यह माना जाता है कि बंदोबस्ती न्यायाधिकरण और उच्च न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला है कि पट्टा वैधानिक रूप से समाप्त हो गया है -

1987 के अधिनियम की धारा 82 (1)। खसरा पहानियाँ भूमि जनगणना नियम, 1954 के आंध्र प्रदेश (तेलंगाना क्षेत्र) के नियम 8 के तहत केवल कृषि भूमि के संबंध में तैयार की जाती हैं। इस तरह के नियम आंध्र प्रदेश (तेलंगाना क्षेत्र) किरायेदारी और कृषि भूमि अधिनियम, 1950 के तहत बनाए गए हैं। खसरा पहानी भूमि को सूखी कृषि भूमि और खेती योग्य और खेती योग्य भूमि के रूप में दर्शाते हैं। भूमि की प्रकृति को "रेत की मिट्टी", "सिंचाई", "पेड़" और "खरिफ" के रूप में वर्णित किया गया है। वर्ष 1954-55 और 2003-04 के लिए खसरा पहानियों से पता चलता है कि भूमि सूखी कृषि भूमि है और खेती योग्य और खेती योग्य भूमि के रूप में भी दिखाई देती है। भूमि को "रेत की मिट्टी", "सिंचाई", "पेड़", "खरिफ" के रूप में वर्णित किया गया है, जो दर्शाता है कि कृषि भूमि का उल्लेख इस तथ्य के अलावा किया गया है कि भूमि "रेत की मिट्टी", "सिंचाई", "पेड़", "खरिफ" के रूप में वर्णित है।

इनाम लैंड्स। यह भी बताया गया है कि मठ द्वारा पट्टेदार से 23.07.1964,14.09.1966, पूरक पट्टा विलेख दिनांक 21.03.1969 और पट्टा विलेख दिनांक 20.04.1978 के संदर्भ में Rs.714-27 के भूमि राजस्व की मांग की गई थी।

30. मठ ने आंध्र प्रदेश आवास बोर्ड के उद्देश्य के लिए भूमि अधिग्रहण करने के इरादे से भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की धारा 4 के तहत प्रकाशित 25.04.1963 और 27.05.1975 की अधिसूचनाओं पर भी भरोसा किया। उसमें की भूमि को सूखी भूमि के रूप में वर्णित किया गया है। यह भी बताया गया है कि अधिग्रहण पूरा नहीं हुआ है, लेकिन भूमि की प्रकृति को इंगित करने के लिए अधिसूचना का उल्लेख किया गया है।

आदेश दिनांकित जी. यू. एल. एफ. ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। वी. तेलंगाना राज्य और ओ. आर. एस. [हेमंत गुप्ता, जे।]

30.11.1976 धारा के तहत ए. पी. भूमि सुधार न्यायाधिकरण द्वारा पारित

8 (1) ए. पी. भूमि सुधार (कृषि जोत पर अधिकतम सीमा) अधिनियम, 1973 से पता चलता है कि भूमि को कृषि भूमि की अधिकतम सीमा से संबंधित क़ानून के दायरे में माना जाता था, हालांकि भूमि को धारा 23 के तहत अधिशेष क्षेत्र की कार्यवाही से छूट दी गई थी।

उपरोक्त अधिनियम।

31. पट्टा विलेखों में आगे भूमि राजस्व के भुगतान पर विचार किया गया है।

गैर-कृषि उद्देश्यों के लिए भूमि के उपयोग के लिए बढ़ी हुई दर पर। द.

गैर-कृषि उद्देश्यों के लिए भूमि के उपयोग से भूमि राजस्व में वृद्धि होती है। यह तर्क दिया जाता है कि सहायक आयुक्त ने 16.12.2008 पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है जिसमें विचाराधीन भूमि कृषि पाई गई थी और यह 1987 के अधिनियम के तहत आगे बढ़ने का आधार था।

32. यह भी तर्क दिया जाता है कि सक्षम प्राधिकारी, तत्कालीन उप

आयुक्त 1987 अधिनियम की धारा 82 (1) के तहत स्वतः संज्ञान लेते हुए कार्यवाही शुरू कर सकते हैं। यह भी तर्क दिया जाता है कि पट्टेदार द्वारा आंध्र प्रदेश (तेलंगाना क्षेत्र) भूमि राजस्व नियम, 1951 के नियम 70 के तहत भूमि को गैर-कृषि उपयोग में बदलने के लिए कोई आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया था। यह भी तर्क दिया जाता है कि बंदोबस्ती न्यायाधिकरण के समक्ष पट्टेदार का तर्क था कि विचाराधीन पट्टे पर दी गई भूमि, हालांकि कृषि भूमि के रूप में पंजीकृत है, लेकिन इसका उपयोग गैर-कृषि उद्देश्यों के लिए किया गया है। न्यायाधिकरण ने इस प्रकार अभिनिर्धारित किया कि भले ही भूमि का उपयोग गैर-कृषि उद्देश्यों के लिए किया जा रहा हो, फिर भी यह एक कृषि भूमि है। से प्रासंगिक उद्धरण

आदेश इस प्रकार हैः

“ 6) . ((ख)। (बी)। ((i)। (ए)। ..... दूसरी ओर, प्रत्यर्थियों की प्रतिस्पर्धा यह है कि विचाराधीन पट्टा भूमि हालांकि पंजीकृत है कृषि भूमि के रूप में, पट्टे के उद्देश्य से और उपयोग में

कृषि की तुलना में पट्टेदार, जैसा कि Ex.83 क्रम बिंदु-2 में देखा गया है

पृष्ठ 8 और 9, यह केवल एक गैर-कृषि अचल संपत्ति है

अधिनियम के Sec.82 (4) द्वारा शासित करने के लिए पट्टा, कि द्वारा कोई निष्कर्ष नहीं है

उच्च न्यायालय ने विचाराधीन भूमि को कृषि के रूप में अभिनिर्धारित किया रिट याचिका 24440/2010 आदेश दिनांक 20.1.2011 और अनुपस्थिति में

जिनमें से पक्षकारों के बीच भी एक अवलोकन नहीं है

रेस-जुडिकाटा या आज्ञाकारी या अब प्रकृति पर विवाद करने से रोकें

पट्टे पर दी गई भूमि।

6) . ((ख)। (बी)। ((i)। (डी)। वास्तव में, याचिका अनुसूची 2 की भूमि

आवेदक का गणित Ex.A17 पहाड़ियों और A18 के अनुसार दर्ज किया जाता है।

इनाम और कृषि भूमि के रूप में जी. ओ. चूंकि याचिका अनुसूची [2022] 17 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

पृष्ठ 8 और 9 पर विचार के लिए उत्तरदाताओं द्वारा गैर-कृषि (वाणिज्यिक/औद्योगिक) उद्देश्यों के लिए पट्टा विलेखों के बाद भूमि का उपयोग किया जाता है, जैसा कि Ex.83 आदेश बिंदु-2 में देखा गया है।

भूमि की प्रकृति को कृषि से गैर में बदल देता है कृषि... ..... इस प्रकार पट्टों की विषय वस्तु को शामिल किया गया है।

Ex.A1-4 द्वारा कृषि भूमि हैं हालांकि इसके अलावा अन्य में हैं किसी भी प्रत्यर्थी द्वारा उपयोग किए जाने वाले कृषि उद्देश्यों और पट्टों को अधिनियम के Sec.82 (1 और 2) के अनुसार उपरोक्त से कानून के वैधानिक संचालन द्वारा समाप्त कर दिया जाता है, जब से अधिनियम, 30/87 लागू हुआ, क्योंकि किसी भी प्रत्यर्थी के लिए भूमिहीन गरीब कृषक के अर्थ में नहीं है।

33. यह तर्क दिया जाता है कि 1987 के अधिनियम की धारा 160 इसे अति प्रभावी प्रभाव देती है और 1987 के अधिनियम के प्रावधान लागू होंगे।

न्यायालय, न्यायाधिकरण या अन्य प्राधिकरण के किसी भी समझौते, योजना, निर्णय, डिक्री या आदेश के बावजूद। अतः आवश्यक रूप से

निहितार्थ, पट्टों को क़ानून द्वारा नियंत्रित किया जाएगा।

34. यह तर्क दिया जाता है कि पट्टेदार न्यायाधिकरण के समक्ष इस मुद्दे से पूरी तरह से अवगत थे कि यह कृषि भूमि के पट्टे को वैधानिक रूप से रद्द करना है। मठ के महंत का सामना दस्तावेज़ एक्स. आर. 3 से हुआ, जिसे बाद में एक्स. बी.-3 नाम दिया गया, जो अधिभोग के अनुदान के मुद्दे पर अपीलीय कार्यवाही में संयुक्त कलेक्टर द्वारा पारित एक आदेश था। अधिकार जिसमें यह निष्कर्ष वापस किया गया था कि भूमि का उपयोग गैर-कृषि उद्देश्यों के लिए था। साक्ष्य शपथ-पत्र में ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया था जो यह दर्शाता हो कि भूमि की प्रकृति गैर-कृषि थी। पट्टेदार द्वारा दायर 2010 की रिट याचिका संख्या 24440 में

न्यायाधिकरण की अधिकारिता में, उच्च न्यायालय ने मठ, प्रतिवादी संख्या 5 द्वारा उक्त कार्यवाही में उठाई गई दलीलों पर विचार किया कि पट्टा कृषि भूमि का है। अभिलिखित तर्क इस प्रकार हैः

" 9. ..... वकील धारा 82 पर भरोसा करेगा और तर्क देगा कि किसी भी स्थिति में पट्टा उसकी उप-धारा (1) के आधार पर रद्द कर दिया गया था, जिसमें प्रावधान है कि अधिनियम के प्रारंभ की तारीख को भूमिहीन गरीब व्यक्ति के अलावा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा धारित कृषि भूमि का पट्टा, उस समय लागू किसी अन्य कानून के बावजूद रद्द कर दिया जाएगा।

10. याचिकाकर्ता के लिए विद्वान वरिष्ठ वकील जवाब में प्रस्तुत करेंगे कि 2008 का पिछला डब्ल्यू. पी. <आई. डी. 1 राय के गठन से संबंधित मुद्दे से संबंधित नहीं था और यदि इसे स्वीकार किया जाता है तो जी. यू. एल. एफ. ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड।

वी. तेलंगाना राज्य और ओ. आर. एस. [हेमंत गुप्ता, जे।]

कि विषय भूमि कृषि भूमि है, फिर G.O.Ms में जारी किए गए नियम। No.866 जिस पर पहले संदर्भ रखा गया था विषय भूमि पर कोई आवेदन नहीं "।

35. इसके अलावा, उच्च न्यायालय ने उपरोक्त रिट याचिका (2010 का डब्ल्यू. पी. नंबर 24440) में न्यायाधिकरण का रिकॉर्ड मांगा था। इसने निरीक्षक की दिनांकित 29.1.2008 और सहायक निदेशक की दिनांकित 24.1.2008 रिपोर्टों से उद्धृत किया और निम्नानुसार दर्ज कियाः

" विचाराधीन भूमि कृषि भूमि है। धारा 82 (1) के अनुसार कृषि भूमि का कोई भी पट्टा किसी भी संस्थान से संबंधित है जो एक ऐसे व्यक्ति के पास है जो भूमिहीन गरीब व्यक्ति नहीं है, उसे रद्द कर दिया जाता है। इस धारा को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बरकरार रखा गया है।

इसके अलावा मेरा कहना है कि धारा 83 के तहत प्रस्तुत प्रस्तावों की जांच के दौरान संशोधित अधिनियम लागू हो गया है और शक्तियां अधिनियम 30 की धारा 83 के तहत उपायुक्त के पास निहित हैं। 87 बंदोबस्ती न्यायाधिकरण को प्रदान किए जाते हैं। चूंकि इसका गठन नहीं किया गया है, इसलिए प्रस्ताव उपायुक्त, बंदोबस्ती विभाग, हैदराबाद को कार्रवाई यू/एस 83 शुरू करने के लिए प्रस्तुत नहीं किए गए हैं।

36. 20.1.2011 पर उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश को अंतिम रूप मिल गया है। यह तथ्य कि भूमि कृषि भूमि है, में दर्ज किया गया था

37. यह माना जाता है कि न्यायाधिकरण के समक्ष प्रस्तुत लिखित प्रस्तुतियों में पट्टेदार का रुख यह नहीं है कि वह सहायक आयुक्त की रिपोर्ट से अवगत नहीं था या भूमि के कृषि प्रकृति का होने पर कोई मुद्दा नहीं बनाया गया था, इसलिए यह 1987 के अधिनियम की धारा 82 (1) के तहत शामिल नहीं है। न्यायाधिकरण द्वारा बनाया गया विशिष्ट मुद्दा यह था कि क्या पट्टे 1987 के अधिनियम की धारा 82 के आधार पर निर्वाह में नहीं हैं। यह आगे तर्क दिया जाता है कि पक्षकार मुकदमे में शामिल वास्तविक मुद्दों से पूरी तरह से अवगत हैं, फिर यह भी मानते हुए कि मुद्दा था तैयार नहीं किया गया है, यह पार्टियों के लिए प्रक्रिया को चुनौती देने के लिए खुला नहीं है। स्वामी आत्मानंद और ओआरएस पर भरोसा रखा गया है। वी. श्री रामकृष्ण

तपोवनम और Ors.22, नेदुनुरी कामेश्वरम्मा बनाम। सम्पती सुब्बा राव 2 3 23, नागुबाई अम्मल और अन्य। वी. बी. शमा राव और Ors.²4 24. 22 (2005) 10 एस. सी. सी 51

23 ए. आई. आर 1963 एस. सी. 884 24 AIR 1956 SC 593 [2022] 17 S. C. R.

(Ex. B-40) किसी भी पक्ष को संबोधित नहीं है और हैदराबाद बंदोबस्ती नियमों के नियम 331 के संदर्भ में, 99 वर्षों के लिए पट्टा नहीं दिया जा सकता है। इसके अलावा, यह कहा गया है कि 25.7.2007 दिनांकित इनाम उन्मूलन अधिनियम के तहत संयुक्त कलेक्टर के आदेश पर गलती से भरोसा किया गया है पट्टेदार द्वारा। यह निष्कर्ष कि भूमि का उपयोग गैर-कृषि उद्देश्यों के लिए किया जा रहा था, एक अलग कानून के संदर्भ में एक आकस्मिक निष्कर्ष है।

और इसलिए 1987 के अधिनियम की धारा 82 की व्याख्या के लिए लागू नहीं किया जा सकता है। यह भी तर्क दिया जाता है कि इनाम उन्मूलन अधिनियम का कोई अनुप्रयोग नहीं है उक्त अधिनियम की धारा 1 (2) (i) को ध्यान में रखते हुए 26.12.1985 तक और उसके बाद उक्त अधिनियम की धारा 4 (1) के परंतुक के आधार पर, जो

धर्मार्थ और धार्मिक संस्थानों को इनाम उन्मूलन अधिनियम के संचालन से छूट देता है।

आंध्र प्रदेश (तेलंगाना क्षेत्र) भूमि राजस्व नियम, 1951 के तहत और यह कि भूमि की प्रकृति को गैर-कृषि साबित करने के लिए कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है।

40. राज्य का तर्क है कि 1987 के अधिनियम की धारा 82 (1) में उल्लिखित 'कृषि भूमि' शब्द का उस उद्देश्य से कोई लेना-देना नहीं है जिसके लिए पट्टे पर दी गई भूमि का उपयोग किया जा रहा था। इसलिए, भूमि का उपयोग कृषि उद्देश्य के लिए किया जा रहा था या नहीं, यह 1987 के अधिनियम की धारा 82 (1) के लागू होने के लिए अप्रासंगिक है। 1987 के अधिनियम का उद्देश्य और उद्देश्य धर्मार्थ और धार्मिक संस्थानों के हितों की रक्षा करना और धार्मिक संस्थानों की कृषि भूमि को उनके अपने लाभ और कल्याण के लिए उन्हें वापस करना और फिर से शुरू करना है। इसलिए, विधायिका ने धर्मार्थ और धार्मिक संस्थानों से संबंधित कृषि भूमि के सभी पट्टों को वैधानिक रूप से रद्द करने की मांग की है। रिलायंस को सिद्धार्थ अकादमी में उच्च न्यायालय के फैसले पर रखा गया था। यह भी तर्क दिया जाता है कि 1987 के अधिनियम की धारा 82 (4) कृषि भूमि के अलावा किसी भी अचल संपत्ति के पट्टे से संबंधित है जो 1987 के अधिनियम के प्रारंभ की तारीख को मौजूद किसी धर्मार्थ या धार्मिक संस्थान से संबंधित है या उसके उद्देश्य के लिए दी गई है या संपन्न की गई है और कहा गया है कि यह उन नियमों के अधीन प्रभावी रहेगी जो उप-धारा (3) के तहत निर्धारित किए जा सकते हैं। 2003 के नियमों का नियम 15 निम्नलिखित प्रभाव से है:

गुल्फ ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। वी. तेलंगाना राज्य और ओ. आर. एस. [हेमंत गुप्ता, जे।]

" 15. नियमों के अनुसार दिए गए, जारी रखे गए या जारी रखे जाने की अनुमति देने वाला कोई भी पट्टा या लाइसेंस अमान्य होगाः
बशर्ते कि, किसी भी अचल संपत्ति या अधिकार की इन नियमों की अधिसूचना की तारीख तक मौजूद कोई पट्टा या लाइसेंस

ऐसे नियमों और शर्तों के अनुसार और उस पर देय किराए पर भी पट्टे या लाइसेंस की अवधि समाप्त होने तक जारी रखा जाएगा, जैसा कि अतिरिक्त आयुक्त द्वारा तय किया जा सकता है।

कार्यपालक अधिकारी या अध्यक्ष या प्रबंधन में कार्यरत व्यक्ति से प्राप्त प्रस्ताव पर, जैसा भी मामला हो।

कृषि भूमि, संपत्ति का उपयोग केवल 2003 के नियमों के नियम 15 के अनुसार किया जा सकता है। 42. संयुक्त कलेक्टर के दिनांकित 25.8.2007 के आदेश को अवरोध के रूप में काम नहीं करने के लिए तर्क दिया गया था क्योंकि मुद्दे अलग हैं। संयुक्त कलेक्टर के समक्ष मुद्दे इनाम भूमि के रूप में भूमि की प्रकृति के संबंध में थे और क्या उक्त भूमि का उपयोग महत्वपूर्ण तिथि पर कृषि भूमि के रूप में किया गया था। मुद्दा यह नहीं था कि निर्धारित तिथि यानी 1.11.1973 पर भूमि कृषि भूमि है या नहीं।

43. इसलिए यह तर्क दिया जाता है कि पट्टेदार के पास पर्याप्त था

' कृषि भूमि 'और इसलिए, पट्टे वैधानिक रूप से रद्द कर दिए जाते हैं। 2010 की रिट याचिका संख्या 24440 में उच्च न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट बंदोबस्ती के सहायक आयुक्त की रिपोर्ट पर भरोसा किया जाता है। यहां तक कि लिखित तर्कों में भी यह मुद्दा उठाया गया था कि विचाराधीन भूमि कृषि भूमि। वास्तव में, पट्टेदार ने इस पर साक्ष्य देने का प्रयास किए बिना कृषि भूमि के संबंध में साक्ष्य का उल्लेख किया है।

मुद्दा। यह भी तर्क दिया जाता है कि बंदोबस्ती न्यायाधिकरण ने एक मुद्दा तैयार किया है कि क्या पट्टा विलेख 1987 के अधिनियम की धारा 82 के प्रावधानों के कारण निर्वाह में हैं।

44. हमने पक्षों के लिए विद्वान वकील को विस्तार से सुना है। जांच करने के लिए आवश्यक प्रश्न यह है कि क्या धारा 82 के संदर्भ में

1987 के अधिनियम के अनुसार कृषि भूमि का पट्टा वैधानिक रूप से रद्द कर दिया गया है। इस स्तर पर यह जांच करने की आवश्यकता नहीं है कि क्या पट्टेदार मूल पट्टेदार मेसर्स [2022] 17 एस. सी. आर. का नाम बदलने के कारण वर्तमान पट्टेदार है।

इंडियन डिटोनेटर्स लिमिटेड या आई. डी. एल. केमिकल्स लिमिटेड। प्राथमिक प्रश्न को निर्धारित करने के लिए, निम्नलिखित पहलुओं की जांच करने की आवश्यकता हैः

द्वारा पारित 25.8.2007 दिनांकित आदेश का क्या प्रभाव पड़ता है?

(अ)

इनाम उन्मूलन अधिनियम के तहत संयुक्त कलेक्टर?

क्या विचाराधीन भूमि कृषि भूमि है जिसके लिए

(ख)

तेलंगाना धर्मार्थ और हिंदू धार्मिक संस्थान और बंदोबस्ती अधिनियम, 1987 लागू है और पट्टेदार के पक्ष में पट्टा धारा के संदर्भ में रद्द कर दिया गया है।

82 (1) अधिनियम का?

((ग)

क्या पक्ष इस ज्ञान के साथ मुकदमे में गए कि

कार्यवाही में विचाराधीन भूमि कृषि भूमि थी

बंदोबस्ती न्यायाधिकरण के समक्ष?

द्वारा पारित 25.8.2007 दिनांकित आदेश का क्या प्रभाव पड़ता है?

(अ)

इनाम उन्मूलन अधिनियम के तहत संयुक्त आयुक्त?

45. इनाम उन्मूलन अधिनियम ने निजाम द्वारा दिए गए सभी इनाम (अनुदान) को समाप्त कर दिया। इस अधिनियम में इनम भूमि के संबंध में अधिभोग अधिकार और प्रमाण पत्र प्रदान करने के संबंध में मामलों के निर्णय पर विचार किया गया है। अधिनियम और सरकार के साथ निहित, ऐसी भूमि की प्रकृति और इतिहास की जांच, को देय मुआवजे का निर्धारण

इनामदार और उसका विभाजन। इनाम उन्मूलन अधिनियम की धारा 4 से 8 1.11.1973 यानी अधिभोग की मंजूरी की तारीख को लागू हुई।

इनाम अधिनियम के तहत अधिकार। ऐसा प्रतीत होता है कि मठ ने कल्याणी नरसिंह राव के साथ एक समझौता किया था। उन्होंने अधिभोग अधिकार प्रदान करने के लिए एक आवेदन दायर किया। इस तरह के आवेदन को राजस्व द्वारा अनुमति दी गई थी 27.11.2004 पर संभागीय आयुक्त। राजस्व प्रभागीय अधिकारी मठ के जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी धारक को अधिभोग अधिकार प्रमाण पत्र जारी करने के

लिए एक आवेदन पर विचार कर रहे थे। आवेदन की अनुमति दी गई थी और यह निम्नानुसार निष्कर्ष निकाला गया थाः

" उपरोक्त निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए अधिनियम और लागू नियमों के संदर्भ में मामले की जांच की गई है। यह पता चलता है कि अभिलेख की सामग्री के अनुसार, विचाराधीन भूमि इनाम भूमि है और आवेदक मालिक हैं। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए

अधिभोग अधिकार प्रमाणपत्र जारी करने के लिए आवेदन को प्रार्थना के रूप में अनुमति दी जाती है।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए और आंध्र प्रदेश के माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार, 2003 के डब्ल्यू. पी. संख्या 9497 में, दिनांकित जी. यू. एल. एफ. ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड।

वी. तेलंगाना राज्य और ओ. आर. एस. [हेमंत गुप्ता, जे।]

29-7-2004 , विचाराधीन भूमि, एपी (टी. ए.) इनाम उन्मूलन अधिनियम, 1955 की धारा 9 (2) के तहत आती है। इसलिए, आवेदकों को धारा 9 (2) के तहत विचाराधीन भूमि के मालिक घोषित किया जाता है। एपी
(टी. ए.) इनाम उन्मूलन अधिनियम, 1955 "।

46. इनाम उन्मूलन अधिनियम की धारा 24 के तहत एक अपील में, एक निष्कर्ष वापस किया गया कि विचाराधीन भूमि को इसके लिए परिवर्तित किया गया था।

1973 से पहले गैर-कृषि उपयोग। मुद्दा नं. 2 इसमें इस बात का प्रभाव था कि क्या विचाराधीन भूमि कृषि के अधीन थी

महत्वपूर्ण तिथि। उक्त मुद्दे पर निष्कर्ष यह है कि इसका उपयोग गैर-कृषि उद्देश्यों के लिए किया जा रहा था। इनाम उन्मूलन अधिनियम को समाप्त करने के लिए लागू किया गया था

इनाम और जुताई करने वाले को अधिभोग का अधिकार प्रदान करना। चूँकि यह भूमि धर्मार्थ और धार्मिक संस्थानों को दी गई इनाम भूमि थी, इसलिए इसे इनाम उन्मूलन अधिनियम के संचालन से मुक्त पाया गया। संयुक्त कलेक्टर ने अभिनिर्धारित किया कि भूमि एक इनाम भूमि है और अधिनियम की धारा 4 (1) के प्रावधान के अनुसार, इनाम धर्मार्थ और धार्मिक संस्थानों द्वारा या उनके लाभ के लिए आयोजित किया गया था, इसलिए, कोई भी व्यक्ति एक अधिभोगकर्ता के रूप में पंजीकृत होने का हकदार नहीं होगा और केवल संस्था ही अधिभोगकर्ता के रूप में पंजीकृत होने का हकदार होगा। यह राजस्व का उक्त आदेश है।

संभागीय अधिकारी जिसे संयुक्त कलेक्टर द्वारा अलग रखा गया था। यह निम्नानुसार आयोजित किया गया थाः

बंदोबस्ती विभाग से पूर्व अनुमति लेकिन अपनी व्यक्तिगत क्षमता में महंथ से नहीं। बाबा सागर दास एक नहीं हैं संस्थान और
वह केवल बंदोबस्ती विभाग द्वारा नियुक्त एक महंथ है। राजस्व प्रभागीय अधिकारी ने अपरिवर्तनीय जी. पी. ए. और कलायणी नरसिंगा द्वारा प्राप्त आदेश पर विचार किया है।

राव ने निष्कर्ष निकाला कि सागर दास 60 प्रतिशत के हकदार हैं और के. नरसिंगा राव मठ की संपत्तियों में 40 प्रतिशत हिस्सेदारी के हकदार हैं और आगे कहा कि जी. पी. ए. धारक ए. पी. के तहत नियमों के नियम 5 के तहत उनके समक्ष मामला रख सकता है। (टीए) का उन्मूलन इनाम नियम, 1955 ने आवेदक के. नरसिंगा राव और बाबा सागर दास को मठ की संपत्तियों का मालिक घोषित किया। राजस्व संभागीय अधिकारी का आदेश इस पर आधारित है -

धारणा और अनुमान और आदेश बताते हैं कि कोई दस्तावेज चिह्नित नहीं हैं और दोनों में से किसी पर भी कोई सबूत नहीं दिया गया था

एक तरफ।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

बंदोबस्ती विभाग के आयुक्त ने अपने

कार्यवाही No.F1/47775/2004-I दिनांकित 25-11-2006 को हटा दिया गया है

उदसिन मठ के महांत के पद से उक्त सागर दास

हुसैनी आलम, हैदराबाद और अलगाव के लिए आरोप तय किए

जी. पी. ए. दिनांक 1-9-1981 के निष्पादन सहित गुण

के. नरसिंगा राव का पक्ष लेना और राजस्व मंडल को गुमराह करना

अधिकारी और संस्था के हित के प्रतिकूल कार्य किया।

XXX

XXX

केवल संस्थान ही इस अधिकार का हकदार है। इसलिए, जी. पी. ए. धारक घोषित करते हुए राजस्व मंडल अधिकारी का आदेश

अधिनियम की धारा 9 (2) के तहत भूमि के मालिक के रूप में महंथ का कहना है कि

कम से कम, यह शरारतपूर्ण, विकृत और पूरी तरह से अवैध है। उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, राजस्व मंडल अधिकारी के पास नहीं है

ए. पी. की धारा 9 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करने का अधिकार क्षेत्र। (टीए) का उन्मूलन

इनाम अधिनियम, 1955 और किसी व्यक्ति को इनाम भूमि का स्वामी घोषित करना,

बहुत कम एक व्यक्ति जिसका कोई अधिकार नहीं है। आगे इनाम

विचाराधीन भूमि पर एक धार्मिक संस्था द्वारा दावा किया जा रहा है और

अधिनियम के उचित प्रावधानों द्वारा कवर किया जाएगा। द इम्पाग्ड मामले में राजस्व मंडल अधिकारी, चेवेल्ला की कार्यवाही

सं. एल./76/2000 दिनांकित 27-11-2004 जिसमें प्रत्यर्थी सं. 1 है

ए. पी. की धारा 9 (2) के अंतर्गत विचाराधीन भूमि का स्वामी घोषित किया गया।

(टी. ए.) इनाम अधिनियम, 1955 का उन्मूलन बिना अधिकार क्षेत्र के विकृत है।

अबिनशियो शून्य है, और इसके द्वारा एक शून्य के रूप में घोषित किया गया है।

विचाराधीन भूमि इनाम भूमि होने के कारण राज्य के पास निहित है।

अधिनियम की धारा 3 के अनुसार इनाम का उन्मूलन। इसके अलावा

भूमि को गैर-कृषि उपयोग में परिवर्तित कर दिया गया था

तारीख और तारीख के रूप में जारी रहने के लिए, कार्यवाही की आवश्यकता है

सक्षम अदालत के समक्ष शुरू किया गया, न कि राजस्व प्राधिकरणों के तहत

अधिनियम के उपयुक्त प्रावधान। जैसा कि भूमि का दावा किया जाता है

धार्मिक संस्था इनाम उन्मूलन अधिनियम के तहत एक दावा हो सकता है

केवल संस्था के नाम पर बनाए रखा जाता है न कि व्यक्तियों द्वारा।

तदनुसार अपील का निपटारा किया जाता है। 47. उक्त अधिनियम के तहत जांच का दायरा इन तक सीमित था -

अधिभोग अधिकारों का, जिन्हें कई कारणों से अस्वीकार कर दिया गया था

इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि महत्वपूर्ण जी. यू. एल. एफ. ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड पर भूमि कृषि के अधीन नहीं थी।

वी. तेलंगाना राज्य और ओ. आर. एस. [हेमंत गुप्ता, जे।]

तिथि. चूँकि इनाम उन्मूलन अधिनियम इनाम के उन्मूलन और अधिभोग के अधिकारों को प्रदान करने के संबंध में एक विशेष अधिनियम है, यह एक आदेश है जो पूर्ण अधिकार क्षेत्र वाले न्यायाधिकरण द्वारा नहीं है। इनाम उन्मूलन अधिनियम के तहत न्यायाधिकरण के पास इनाम उन्मूलन अधिनियम के तहत उत्पन्न होने वाले प्रश्नों पर निर्णय लेने का सीमित अधिकार क्षेत्र था। इसलिए, ऐसी कार्यवाहियों में दर्ज किए गए निष्कर्ष न तो निरोध के रूप में कार्य करते हैं, न ही किसी अन्य कार्यवाहियों के लिए न्यायिक आधार के रूप में कार्य करते हैं।

48. होप प्लांटेशन लिमिटेड में, यह अभिनिर्धारित किया गया था कि रोक उसी कार्यवाही में काम करती है, और उसी पक्षकारों के बीच बाद के मुकदमों में भी जिसमें वही मुद्दा उत्पन्न होता है। रिलायंस को आदेश के निम्नलिखित भाग पर रखा गया है, जो इस प्रकार हैः

" 26. ..... ये दो पहलू हैं "कार्रवाई रोकने का कारण" और "समस्या रोकने का कारण"। ये दोनों शब्द सामान्य कानून मूल के हैं। एक बार फिर, एक बार जब किसी मुद्दे का अंत में निर्धारण हो जाता है, तो पक्षकार बाद में उसी मुकदमे में आगे की दलीलें नहीं दे सकते हैं या यह दिखाने के लिए निर्देशित और सबूत पेश नहीं कर सकते हैं कि मुद्दा गलत था।

तय किया। यदि उपलब्ध हो तो उच्च मंच से संपर्क करना ही उनका एकमात्र उपाय है। पार्टियों के बीच मुद्दे का निर्धारण, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, एक मुद्दे को रोकता है। यह उसी मुकदमे में किसी भी बाद की कार्यवाही में काम करता है जिसमें मुद्दा निर्धारित किया गया था। यह उन्हीं पक्षों के बीच बाद के मुकदमों में भी काम करता है जिसमें वही मुद्दा उत्पन्न होता है।

49. इनाम उन्मूलन अधिनियम के तहत कार्यवाही एक पावर ऑफ अटॉर्नी धारक द्वारा शुरू की गई थी जो बेचने के समझौते के आधार पर अधिभोग अधिकारों का दावा करता था। मठ का प्रतिनिधित्व एक पावर ऑफ अटॉर्नी धारक द्वारा किया गया था जो स्वतंत्र अधिकारों का दावा कर रहा था, इसलिए, पिछली कार्यवाही उन्हीं पक्षों के बीच नहीं थी क्योंकि मठ अपने अधिकारों में एक पक्ष नहीं था, बल्कि एक वकील के माध्यम से था जो अपने आप में स्वतंत्र अधिकार का दावा कर रहा था। इसलिए, उसमें दर्ज किए गए निष्कर्ष किसी अन्य कानून के तहत कार्यवाही के संबंध में प्रासंगिक या बाध्यकारी नहीं हैं, जो इनम भूमि की रक्षा के लिए अलग-अलग उद्देश्य से अधिनियमित किए गए हैं।

धर्मार्थ और धार्मिक संस्थान।

50. इनाम उन्मूलन अधिनियम मठ पर इस कारण से लागू नहीं होता है कि यह अधिनियम स्वयं धर्मार्थ और धार्मिक संस्थानों पर धारा 1 (2) (i) के संदर्भ में 26.12.1985 तक और उसके बाद इनाम उन्मूलन अधिनियम की धारा 4 (1) के पहले प्रावधान के संदर्भ में लागू नहीं होता है। इस प्रकार, संयुक्त कलेक्टर द्वारा दर्ज किया गया कोई भी निष्कर्ष केवल अधिभोग [2022] 17 एस. सी. आर. का दावा करने वाले पावर ऑफ अटॉर्नी धारक के दावे को नकारने के उद्देश्यों के लिए है।

अधिकार। संयुक्त कलेक्टर द्वारा यह स्पष्ट रूप से अभिनिर्धारित किया गया है कि अधिनियम

अधिनियम, 1987 लागू होता है और पट्टेदार के पक्ष में पट्टा अधिनियम की धारा 82 (1) के संदर्भ में रद्द कर दिया जाता है। 51. पट्टेदारों के विद्वान वकील का प्राथमिक तर्क यह है कि इस बात की कोई दलील नहीं थी कि विचाराधीन भूमि कृषि थी।

भूमि, इसलिए, पट्टेदारों को इस तथ्य से अवगत नहीं कराया गया था कि पट्टा वैधानिक रूप से रद्द कर दिया गया है। उक्त तर्क इस कारण से मान्य नहीं है कि निरीक्षक ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 29.1.2008 और 16.12.2008 में बताया कि विचाराधीन भूमि कृषि भूमि है और ऐसी भूमि का पट्टा रद्द कर दिया गया है। यह भी उल्लेख किया गया कि धारा 82 की वैधता को इस न्यायालय द्वारा नल्लामिल्ली रामी रेड्डी में बरकरार रखा गया है जिसमें इस न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है:

" 12. यह स्पष्ट है कि धार्मिक संस्थान एक अलग वर्ग में आते हैं और उनके द्वारा धारण की गई भूमि का एक विशेष चरित्र होता है जिसके संबंध में किरायेदारी बनाई गई थी और बेहतर के लिए भूमि को फिर से शुरू करने के लिए इन किरायेदारी को समाप्त करने की मांग की जाती है।

उसका प्रबंधन। यह स्पष्ट है कि धार्मिक संस्थानों के तहत किरायेदार स्वयं एक विशेष वर्ग बनाते हैं और इस तरह के

जहाँ तक किरायेदारों का संबंध है, धार्मिक संस्थानों के हितों की रक्षा के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए वर्गीकरण किया जाता है। इसलिए, हमें नहीं लगता कि कोई भी सिद्धांत जो शत्रुतापूर्ण भेदभाव का कारण बनता है, वर्तमान मामले में लागू होगा।

52. पट्टेदार ने इससे पहले 2010 की रिट याचिका संख्या 24440 दायर की थी जिसमें बंदोबस्ती से पहले कार्यवाही जारी रखने को चुनौती दी गई थी। न्यायाधिकरण। मठ की ओर से दायर 7.12.2010 दिनांकित जवाबी हलफनामे में कहा गया था कि 1987 के अधिनियम की धारा 82 के तहत पट्टे अमान्य हो गए हैं।

" 2. ..... यह हमारा मामला है कि आंध्र प्रदेश चैरिटेबल एंड हिंदू रिलीजियस की धारा 82 के तहत पट्टों को अमान्य कर दिया गया है। संस्थान और बंदोबस्ती अधिनियम, 1987 "।

53. रिट याचिका को 20.1.2011 पर खारिज कर दिया गया था। उच्च न्यायालय ने मठ के इस तर्क पर भी ध्यान दिया कि धारा 82 के संदर्भ में,

पट्टों को रद्द कर दिया गया।

गुल्फ ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। वी. तेलंगाना राज्य और ओ. आर. एस. [हेमंत गुप्ता, जे।]

" वकील धारा 82 पर भरोसा करेगा और तर्क देगा कि किसी भी स्थिति में पट्टा उसकी उप-धारा (1) के आधार पर रद्द कर दिया गया था, जिसमें यह प्रावधान है कि अधिनियम के प्रारंभ की तारीख को भूमिहीन गरीब व्यक्ति के अलावा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा धारित कृषि भूमि का पट्टा, उस समय लागू किसी अन्य कानून के बावजूद रद्द कर दिया जाएगा।

54. उच्च न्यायालय ने चौथे प्रतिवादी यानी सहायक आयुक्त (बंदोबस्ती) का रिकॉर्ड मांगा था, जिसमें निम्नलिखित बयान दिया गया थाः

" विचाराधीन भूमि कृषि भूमि है। धारा 82 (1) के अनुसार कृषि भूमि का कोई भी पट्टा किसी भी संस्थान से संबंधित है जो एक ऐसे व्यक्ति के पास है जो भूमिहीन गरीब व्यक्ति नहीं है, उसे रद्द कर दिया जाता है। इस धारा को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बरकरार रखा गया है।

अदालत "।

55. यह तर्क कि भूमि कृषि भूमि है, मठ द्वारा उठाया गया था और निरीक्षक की रिपोर्ट में भी दर्ज किया गया था। इस प्रकार यह

इस बात पर ध्यान दिया कि पट्टेदार कृषि भूमि के रूप में भूमि की प्रकृति से अच्छी तरह से अवगत थे। उच्च न्यायालय के इस तरह के आदेश को अंतिम रूप मिल गया है। धर्मादा न्यायाधिकरण द्वारा विचार के लिए निम्नलिखित बिंदु को हटा दिया गया थाः

" (1) क्या पट्टों को क्रमशः 99 वर्षों के लिए कवर किया गया है,

आर 1 के पक्ष में आर 1 और आर 2 के पक्ष में आर 2 द्वारा द्वितीय आवेदक मठ द्वारा निष्पादित पूरी याचिका अनुसूची संपत्ति के प्रावधानों के आधार पर निर्वाह में नहीं हैं। बंदोबस्ती अधिनियम 30/87 (Sec.82 आर/डब्ल्यू। जी. ओ. एम. एस. के तहत वहां बनाए गए नियम। नं. 866 & 379 2003 में इसमें संशोधनों के साथ

2010 का जी. ओ. एम. एस. संख्या 160)?

56. मठ ने अपने तर्कों को इस आधार पर आधारित किया है कि विचाराधीन भूमि कृषि भूमि है। बंदोबस्ती न्यायाधिकरण के समक्ष प्रस्तुत लिखित दलीलों में पट्टेदार द्वारा उठाया गया सटीक तर्क

यह निम्नानुसार हैः

“ 14. आवेदक संख्या 2 मठ का तर्क है कि Ex.P1 से P4 तक की भूमि कृषि भूमि है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि उक्त तर्क गलत है क्योंकि उत्तरदाताओं द्वारा भूमि गैर-कृषि उद्देश्य और औद्योगिक उपयोग के लिए ली गई थी। आवेदक संख्या 2 मठ इस तथ्य से अवगत है। गल्फ ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड को आवेदक संख्या 2 मठ के वकील द्वारा जारी कानूनी नोटिस दिनांक 24.08.2007 (Ex.P11) के पृष्ठ 2 में। (आर 3), यह [2022] 17 एस. सी. आर. था।

उन्होंने कहा कि मेरे मुवक्किल श्री उदासिन मठ, हुसैनी आलम, हैदराबाद और मेसर्स के बीच पट्टा समझौतों की अनुमति दी गई थी। इंडियन डिटोनेटर्स लिमिटेड/आईडीएल केमिकल्स लिमिटेड। उपर्युक्त कंपनियाँ पूरी तरह से भूमि का उपयोग करने की हकदार थीं।

पट्टा समझौते के संदर्भ में एसीएस 539-38 गुंटा की एक सीमा को मापना, जिसका उपयोग सुरक्षा, परीक्षण क्षेत्र आदि के रूप में कम किया जाना था, जैसा कि विस्फोटक अधिनियम और नियमों के प्रावधानों के तहत सरकार द्वारा संशोधित किया गया था। आवेदक संख्या 2 मठ द्वारा Ex.P17 (A-D) के माध्यम से दायर वर्ष 2003 2004 के लिए पहानियों का कहना है कि Ex.P1 से P4 तक की भूमि "सूखी" भूमि है। इन दस्तावेजों में यह बताने के लिए कोई उल्लेख नहीं है कि उक्त भूमि "सूखी कृषि भूमि" है। आवेदक संख्या 2 मठ द्वारा दायर वर्ष 1954-55 के लिए खसरा पहाड़ी का कहना है कि उक्त भूमि "इसुका नीला" है, जिसका अर्थ है रेतीली मिट्टी। यह सामान्य ज्ञान है कि "रेतीली मिट्टी" पर कृषि करना संभव नहीं है। इन दो दस्तावेजों को छोड़कर, आवेदक संख्या 2 मठ के पास नहीं है

यह स्थापित करने के लिए कि भूमि इसके अंतर्गत आती है, कोई अन्य दस्तावेज दाखिल किया।

Ex.P1 से P4 कृषि भूमि हैं। दूसरी ओर, उत्तरदाताओं ने Ex.R33 दाखिल किया है जो कि डिप्टी गवर्नर द्वारा लिखा गया एक पत्र है। के आयुक्त को बंदोबस्ती आयुक्त

दान। उक्त पत्र में यह कहा गया था कि ". प्रस्तावित भूमि न तो खेती योग्य है और न ही चराई के लिए भी उपयोगी है, क्योंकि यह चट्टानों से ढका हुआ है। " Ex.R33 के अलावा, संयुक्त कलेक्टर, आर. आर. जिले के दिनांकित 25.08.2007 आदेश में कहा गया है कि "... विचाराधीन भूमि का उपयोग गैर-कृषि उद्देश्यों के लिए किया जाता है। यह है,

इसलिए, प्रस्तुत किया कि पी4 को Ex.P1 द्वारा कवर की गई भूमि पट्टे की शुरुआत से ही गैर-कृषि भूमि है और इसलिए, आवेदक संख्या 2 का तर्क कि भूमि कृषि भूमि है, योग्यता से रहित है।

57. जैसा कि ऊपर पुनः प्रस्तुत किया गया है, लिखित तर्कों के अवलोकन से पता चलता है कि पट्टेदारों ने प्रस्तुत किया है कि भूमि का उपयोग इसके लिए किया जा रहा है।

भूमि का उपयोग। चूँकि भूमि कृषि भूमि है, इसलिए गैर-कृषि उद्देश्यों के लिए इसका उपयोग भूमि की प्रकृति को नहीं बदलेगा। कृषि भूमि। 1987 के अधिनियम की धारा 82 में "कृषि भूमि के किसी भी पट्टे" का उल्लेख है, इसलिए पट्टा कृषि भूमि का होना चाहिए, भले ही पट्टेदार ऐसी कृषि भूमि का उपयोग कर सके। क़ानून की भाषा भूमि की प्रकृति को संदर्भित करती है न कि जी. यू. एल. एफ. ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड को।

वी. तेलंगाना राज्य और ओ. आर. एस. [हेमंत गुप्ता, जे।]

इसका उपयोग। इसलिए, न्यायाधिकरण के समक्ष पट्टेदार द्वारा उठाई गई लिखित दलीलों के संदर्भ में भी, 1987 के अधिनियम की धारा 82 के तहत कृषि भूमि के पट्टे को वैधानिक रूप से रद्द करने के लिए गैर-कृषि उद्देश्यों के लिए भूमि का उपयोग अप्रासंगिक होगा।

58. कृषि और गैर-कृषि भूमि के बीच का अंतर आंध्र प्रदेश की धारा 3 के अध्ययन से निकाला जाना चाहिए।

ए. पी. कृषि भूमि (गैर-कृषि उद्देश्यों के लिए रूपांतरण) अधिनियम, 2006 द्वारा निरस्त गैर-कृषि मूल्यांकन अधिनियम, 1963 मान्य नहीं है। भूमि की श्रेणियों के बीच अंतर की वजह से गैर-कृषि भूमि के मामले में उच्च मूल्यांकन का परिणाम। पट्टेदार ने इस बात का कोई सबूत नहीं दिया है कि वे शुल्क का भुगतान कर रहे हैं।

59. ए. पी. पंजाबी सभा, हैदराबाद बनाम के रूप में रिपोर्ट किए गए एक फैसले में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के एक विद्वान एकल न्यायाधीश। संयुक्त कलेक्टर, हैदराबाद 25 इनाम के प्रावधानों पर विचार करते हुए

उन्मूलन अधिनियम ने अभिनिर्धारित किया कि इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए, यदि भूमि को गैर-कृषि उद्देश्यों के लिए रखा जाता है, तो यह विचाराधीन अधिनियम के अंतर्गत नहीं आता है। कलेक्टर धारा 10 के तहत दावों पर निर्णय लेने का अधिकार क्षेत्र तभी ग्रहण करेगा जब भूमि को कृषि उपयोग के लिए रखा जाए। यह निम्नानुसार आयोजित किया गया थाः

" 19. अधिनियम के तहत 'कृषि या गैर-कृषि उद्देश्य' शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है। हालाँकि, धारा 9 के उद्देश्य के लिए, यह पर्याप्त है यदि भूमि को गैर-कृषि उद्देश्यों के लिए रखा गया है। कारण या औचित्य अधिनियम के प्रावधानों के तहत जांच के दायरे से बाहर है। कलेक्टर धारा 10 के तहत दावों पर निर्णय लेने का अधिकार क्षेत्र तभी ग्रहण करेगा जब भूमि को कृषि के लिए रखा गया हो।

उपयोग करें। हालांकि फॉर्म I में, प्रासंगिक तिथि का उल्लेख 20.7.1955 के रूप में किया गया है,

बाद के विधायी और न्यायिक परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए

उच्चारण, महत्वपूर्ण तिथि अब 1.11.1973 के रूप में है। धारा 4 और 5 में, 'व्यक्तिगत रूप से संवर्धित' अभिव्यक्ति का उपयोग किया गया है, जबकि धारा 6,7 और 8 में, अभिव्यक्ति 'उनके व्यक्तिगत रूप से संवर्धित है।

'खेती' का उपयोग किया जाता है। वे धारा 10 के तहत शक्ति के प्रयोग के लिए अधिकार क्षेत्र के तथ्यों का गठन करते हैं। इनामदार, काज़िम-ए-कदीम या किरायेदार के पास इनाम भूमि में खेती की गतिविधियों को शुरू नहीं करने के लिए एक उत्कृष्ट आधार या औचित्य हो सकता है। लेकिन एक बार जब ऐसी भूमि खेती के अधीन नहीं पाई जाती है, तो कलेक्टर के पास धारा 10 के तहत इससे निपटने की शक्ति समाप्त हो जाती है। इसके अलावा,

प्रतिस्पर्धा करने वाले उत्तरदाताओं ने स्पष्ट रूप से कहा कि भूमि को रखा गया है

गैर-कृषि उद्देश्य "।

60. दूसरी ओर, 1987 के अधिनियम के संबंध में, सिद्धार्थ अकादमी में उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने कहा कि भूमि का उपयोग गैर-कृषि उद्देश्य के लिए पट्टा विलेख को वैधानिक रूप से रद्द करने के उद्देश्य से कोई महत्व नहीं है, जैसा कि उक्त अधिनियम की धारा 82 (1) के तहत प्रदान किया गया है। यह निम्नानुसार आयोजित किया गया थाः

" उपरोक्त प्रावधान को पढ़ने से पता चलेगा कि प्रावधान का आवश्यक उद्देश्य और उद्देश्य कृषि भूमि के पट्टों को विनियमित करने के संबंध में है और भूमिहीन गरीब व्यक्तियों द्वारा रखे गए पट्टों को छोड़कर ऐसे सभी पट्टों को रद्द कर दिया जाता है। व्याख्या I में 'भूमिहीन गरीब व्यक्ति' अभिव्यक्ति को भी परिभाषित किया गया है। धारा 82 को लागू करने के लिए, परीक्षण यह है कि क्या पट्टा कृषि भूमि का है। वर्तमान मामले के तथ्यों पर, यह विवादित नहीं किया जा सकता है कि अपीलार्थी के पक्ष में पट्टा कृषि भूमि का है। केवल यह तथ्य कि अपीलार्थी/पट्टेदार ने उक्त भूमि को गैर-कृषि उपयोग के लिए रखा है, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि जिस उद्देश्य के लिए पट्टे पर दी गई संपत्ति का उपयोग किया जाता है, वह अधिनियम की धारा 82 के उद्देश्य के लिए महत्वहीन है। इसलिए पट्टे

सभी कृषि भूमि के संबंध में वैधानिक रूप से रद्द कर दिए गए हैं और केवल भूमिहीन गरीब व्यक्तियों के पक्ष में पट्टे की सीमा तक सहेजे गए हैं। इसलिए विद्वान एकल न्यायाधीश ने रिट याचिकाकर्ता के खिलाफ उचित निर्णय दिया है और अधिनियम की धारा 82 (1) को लागू करके उनके खिलाफ पारित बेदखली के आदेश में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

61. एस. एल. पी. (सिविल) सं. 25617-25619 2013 का वर्ष 27.2.2017 पर वापस ले लिया गया था। इस प्रकार, डिवीजन बेंच द्वारा पारित आदेश को अंतिम रूप मिल गया था। (ग) क्या पक्षकार इस ज्ञान के साथ मुकदमे में गए कि विचाराधीन भूमि दोनों पक्षों के बीच की कार्यवाही में कृषि भूमि थी।

बंदोबस्ती न्यायाधिकरण के समक्ष पक्षकार? 62. बच्चाज नाहर और राम सरूप गुप्ता के निर्णय वर्तमान मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होते हैं, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया है कि यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि अभिवचन के अभाव में, साक्ष्य, यदि

पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किसी भी मामले पर विचार नहीं किया जा सकता है। यह भी समान रूप से तय किया गया है कि किसी भी पक्ष को अपनी दलील से आगे जाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए और सभी आवश्यक और भौतिक तथ्यों का पक्षकार जी. यू. एल. एफ. ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा अनुरोध किया जाना चाहिए।

वी. तेलंगाना राज्य और ओ. आर. एस. [हेमंत गुप्ता, जे।]

उसके द्वारा स्थापित मामले के समर्थन में। अभिवचन का उद्देश्य और उद्देश्य विरोधी पक्ष को यह जानने में सक्षम बनाना है कि उसे किस मामले को पूरा करना है।

विशिष्ट उद्देश्य के लिए गठित न्यायाधिकरण तक विस्तारित। चूँकि पट्टेदार इस तथ्य से अवगत थे कि मठ भूमि को कृषि भूमि होने का दावा करता है और पट्टे को इस कारण से वैधानिक रूप से रद्द किया जा रहा था कि पट्टे पर दी गई भूमि कृषि थी, इसलिए पट्टेदार प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के किसी भी उल्लंघन या सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के तहत अनुरोध के सख्त नियमों की शिकायत नहीं कर सकते हैं। 64. वास्तव में, नेदुनुरी कामेश्वरम्मा मामले में इस अदालत ने कहा कि चूंकि पक्षकार प्रतिद्वंद्वी मामले को पूरी तरह से जानते हुए मुकदमे में गए थे और न केवल अपनी दलीलों के समर्थन में बल्कि दूसरे पक्ष के लोगों के खंडन में सभी सबूतों का नेतृत्व किया था, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता है कि किसी मुद्दे का अभाव मामले के लिए घातक था। यह निम्नानुसार आयोजित किया गया थाः

कार्यवाही। इसलिए, हमारी राय है कि मुकदमे को इस संकीर्ण आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता है, और यह भी कि प्रेषण की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मामले में जो साक्ष्य दिया गया है वह सही निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए पर्याप्त है। इससे पहले किसी भी पक्ष ने दावा नहीं किया था कि उसके पास पेश करने के लिए कोई और सबूत था। "

65. स्वामी आत्मानंद में, यह अभिनिर्धारित किया गया था कि यदि पक्षकार मुकदमे में शामिल वास्तविक मुद्दों को पूरी तरह से जानते हुए जाते हैं और साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं

ऐसे मामले में, पूर्वाग्रह स्थापित किए बिना, किसी पक्ष के लिए यह खुला नहीं होगा कि वह किसी विशेष मुद्दे को तैयार न करने का सवाल उठाए।

2] 17 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

66. इसलिए, पक्षकार भूमि की प्रकृति के बारे में विवाद से अवगत थे। इस प्रकार पट्टेदार को लौटने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

उन्हें पट्टे पर दी गई भूमि की प्रकृति पर विवाद करने के लिए।

67. हम पट्टेदारों द्वारा उठाए गए इस तर्क में योग्यता पाते हैं कि 1987 के अधिनियम के प्रारंभ से पहले निष्पादित पट्टा नहीं होगा इस कारण से रद्द कर दिया गया कि कोई पूर्व अनुमोदन नहीं था। पट्टे 1987 के अधिनियम के प्रारंभ से पहले दिए गए थे, लेकिन 1966 के अधिनियम के तहत भी, धारा 70 इनाम भूमि के पट्टे को प्रतिबंधित करती है यदि इसकी अवधि छह साल से अधिक है। 143 एकड़ भूमि का पट्टा, पट्टा विलेख दिनांक 23.7.1964, पट्टा विलेख दिनांक 14.9.1966 के अनुसार 257 एकड़ 19 गुंटा और पट्टा विलेख दिनांक 21.3.1969 के अनुसार 2 एकड़ 32 गुंटा, सक्षम प्राधिकारी की किसी भी पूर्व मंजूरी से पहले नहीं दिया गया था। रिलायंस को 24.2.1964 दिनांकित नोट पर रखा गया है लेकिन इस तरह के नोट का हिस्सा है

निर्णय लेने की प्रक्रिया के बारे में दोनों में से किसी को भी कोई मंजूरी नहीं दी गई थी

पट्टेदार या पट्टेदार या किसी भी व्यक्ति को। वास्तव में, उक्त संचार सरकारी गृह (बंदोबस्ती-III) विभाग के द्वितीय सचिव का एक नोट है कि 99 साल की अवधि के लिए पट्टे को एकमुश्त बिक्री द्वारा संपन्न भूमि के स्वामित्व के हस्तांतरण के रूप में नहीं माना जा सकता है और हैदराबाद राज्य बंदोबस्ती नियम और विनियमों के नियम 331 के तहत निषिद्ध है। यह पट्टेदार या पट्टेदार या किसी अन्य व्यक्ति या संस्था को संबोधित संचार नहीं है। विनियमन 331 भविष्य में पीढ़ी दर पीढ़ी नजली भूमि (कर देने वाली भूमि) के कब्जे और हस्तांतरण पर प्रतिबंध लगाता है। विनियम 331 इस प्रकार हैः

" 331. भविष्य में प्रदान की जाने वाली भूमि में पीढ़ी दर पीढ़ी नजली भूमि (कर वहन करने वाली भूमि) के कब्जे और हस्तांतरण के संबंध में अनुभव के आलोक में नूजुल पर नहीं छोड़ा जाएगा।

ताकि दानों की रक्षा की जा सके। "

68. दिनांकित 24.02.1964 नोट में यह तर्क दिया गया है कि यह पट्टे की मंजूरी की ओर ले जाता है, ऐसा निर्णय नहीं है जिसे प्रभावी और प्रभावी कहा जा सके।

इस न्यायालय के निर्णयों को ध्यान में रखते हुए बाध्यकारी। हाल ही में, इस न्यायालय ने नरेशभाई भागूभाई बनाम. भारत संघ, निम्नानुसार आयोजित किया गयाः

" 27. बचित्तर सिंह बनाम। पंजाब राज्य [बचित्तर सिंह बनाम। पंजाब राज्य, ए. आई. आर. 1963 एस. सी. 395] एक संविधान पीठ ने कहा कि केवल फाइल पर कुछ लिखना एक आदेश के बराबर नहीं है। के निर्णय के लिए राशि के लिए एक फ़ाइल नोटिंग के लिए

सरकार, इस तरह से प्रभावित व्यक्ति को सूचित किया जाना चाहिए, इससे पहले कि वह व्यक्ति उस आदेश से बाध्य हो सके। जब तक आदेश से प्रभावित व्यक्ति को सूचित नहीं किया जाता है, तब तक इसे अस्थायी होने के अलावा और कुछ नहीं माना जा सकता है। 28. इसी तरह, शांति स्पोर्ट्स क्लब बनाम। भारतीय संघ [शांति स्पोर्ट्स क्लब बनाम। भारत संघ, (2009) 15 एस. सी. सी. 705: (2009) 5 एस. सी. सी. (सी. आई. वी.) 707] इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि सरकारी फाइलों में दर्ज टिप्पणियाँ, विभिन्न स्तरों पर सरकार के अधिकारियों और यहां तक कि मंत्रियों द्वारा भी, सरकार का निर्णय नहीं बनते हैं, जब तक कि उन्हें राष्ट्रपति या राज्यपाल के नाम पर एक आदेश जारी करके, जैसा भी मामला हो, पवित्र नहीं किया जाता है और उन पर कार्रवाई नहीं की जाती है, और प्रभावित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है।

29. सेठी ऑटो सर्विस स्टेशन बनाम. डी. डी. ए. [सेठी ऑटो सेवा

स्टेशन वी। डी. डी. ए. (2009) 1 एस. सी. सी. 180], इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया किः (एससीसी पीपी। 185-86 , पैरा 14 और 16)

" 14. यह कहना तुच्छ है कि एक विभागीय फाइल में टिप्पणियों को एक प्रभावी आदेश होने के लिए कानून की मंजूरी नहीं है। द्वारा एक टिप्पणी एक अधिकारी इस विषय पर अपने दृष्टिकोण की अभिव्यक्ति है। यह एक अधिकारी द्वारा आंतरिक उपयोग और विभाग के अन्य अधिकारियों के विचार के लिए और अंतिम निर्णय लेने वाले प्राधिकरण के लाभ के लिए एक राय से ज्यादा कुछ नहीं है। अनावश्यक है।

जोड़ दें कि आंतरिक संकेतन बाहर के लिए नहीं हैं

एक्सपोज़र। फ़ाइल में टिप्पणियाँ एक निष्पादन योग्य में समाप्त होती हैं

आदेश, पार्टियों के अधिकारों को प्रभावित करता है, केवल तभी जब यह

अंतिम निर्णय लेने के अधिकार तक पहुँचता है

विभाग, उसकी मंजूरी प्राप्त करता है और अंतिम आदेश [एड। : दो तारांकन चिह्नों के बीच के शब्द पर मूल में भी जोर दिया गया है।] संप्रेषित [एड। : दो तारांकन चिह्नों के बीच के शब्द पर मूल में भी जोर दिया गया है।] को

संबंधित व्यक्ति।

16. इसी तरह के प्रभाव के लिए लक्ष्मीनारायण आर. भट्टड बनाम में इस न्यायालय की टिप्पणियां हैं। महाराष्ट्र राज्य

[लक्ष्मीनारायण आर. भट्टड बनाम। महाराष्ट्र राज्य, (2003) 5 एस. सी. सी. 413], जिसमें यह कहा गया था कि एक वैधानिक प्राधिकरण के आदेश के तहत बनाए गए अधिकार को संबंधित व्यक्ति को सूचित किया जाना चाहिए ताकि एक प्रवर्तनीय अधिकार प्रदान किया जा सके।

69. 173 एकड़ और 19 गुंटा की भूमि की एकमात्र मंजूरी दिनांकित 10.5.1976 है। हालांकि तीन के संबंध में दिनांक 29.4.1975 के आयुक्त बंदोबस्ती के संचार का संदर्भ है। पिछले पट्टा विलेख, लेकिन मठ को दिनांकित 10.5.1976 या 29.4.1975 के पत्र में से कोई भी संचार नहीं है। धारा 82 अनुमोदन के साथ दिए गए पट्टे का कोई अपवाद नहीं है। यह है मंजूरी

इसका उल्लेख केवल 1987 के अधिनियम की धारा 75 में किया गया है। भले ही इस तरह की मंजूरी को पूरी भूमि के संबंध में दिया गया माना जाता है, अनुमोदन के साथ दिया गया पट्टा केवल 1987 के अधिनियम की धारा 75 के उद्देश्यों के लिए प्रासंगिक है और उक्त अधिनियम की धारा 82 के उद्देश्यों के लिए नहीं है।

70. इसी तरह, यह तर्क कि शहरी भूमि के अधिनियमन को देखते हुए भूमि अब शहरी समूह के अंतर्गत आती है (अधिकतम सीमा और

विनियमन) अधिनियम, 1976 फिर से मान्य नहीं है। सबसे पहले, उक्त अधिनियम 22.3.1999 पर निरस्त कर दिया गया है। इसके अलावा, केवल यह तथ्य कि भूमि नगरपालिका की सीमा के भीतर आ गई है, भूमि को गैर-कृषि भूमि नहीं बना देगा। इसका केवल यह अर्थ है कि नगरपालिका सीमा के भीतर की भूमि का उपयोग किया जा सकता है या भवनों का निर्माण नगरपालिका कानूनों के प्रावधानों के अनुसार किया जा सकता है। 71. इसी तरह, यह तर्क कि विचाराधीन भूमि के संचार के अनुसार कुकटपल्ली के लिए क्षेत्रीय विकास योजना के साथ आती है

हैदराबाद शहरी विकास प्राधिकरण फिर से मान्य नहीं है। क्षेत्रीय विकास योजना क्षेत्र के विकास की भविष्य की योजना है। इस प्रकार, भविष्य में, भूमि का उपयोग केवल क्षेत्रीय विकास योजना के अनुसार किया जा सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि भूमि की कृषि प्रकृति का अस्तित्व समाप्त हो गया है। इसलिए, उक्त संचार भी मान्य नहीं है। 72. 2014 की सिविल अपील संख्या 7761 में पट्टेदार के अनुरोध पर विचार करने का निर्देश है। हालाँकि, तेलंगाना चैरिटेबल का नियम 15

और हिंदू धार्मिक संस्थान और बंदोबस्ती अचल संपत्ति और अन्य अधिकार (कृषि भूमि के अलावा) पट्टा और लाइसेंस नियम, 2003 कृषि भूमि पर इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए लागू नहीं होंगे कि धारा 82 (3) और (4) केवल उस भूमि और संपत्ति पर लागू होती है जो कृषि नहीं है। जब से जमीन मिली है

अतः कृषि, 2003 के नियम विचाराधीन भूमि पर लागू नहीं होंगे। इस प्रकार, नियम 15 के तहत पट्टा अनुदान पर विचार करने के लिए पट्टेदार के अनुरोध पर विचार करने का निर्देश असमर्थनीय है।

73. नतीजतन, सिविल अपील सं। 7759-7760 2014 को खारिज कर दिया गया है जबकि 2014 की सिविल अपील संख्या 7761 को अनुमति दी गई है, जिससे जी. यू. एल. एफ. ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड स्थापित किया गया है।

वी. तेलंगाना राज्य और ओ.

आर. एस. [हेमंत गुप्ता, जे।]

ए के नियम 15 के तहत पट्टेदार के अनुरोध पर विचार करने के निर्देश को दरकिनार करते हुए तेलंगाना धर्मार्थ और हिंदू धार्मिक संस्थान और दान अचल संपत्ति और अन्य अधिकार (कृषि भूमि के अलावा) पट्टे और लाइसेंस नियम, 2003।

दिव्या पांडे और अनुराग भास्कर (सहायकः

अजय, एलसीआरए)